सरकार का सचिव। केरल का, अलगाव

विभाग और अन्य

वी.

जेम्स वर्गीज और अन्य

(2014 की सिविल अपील संख्या 6258)

04 मई, 2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

केरल मध्यस्थता खंडों को निरस्त करना और फिर से खोलना

पुरस्कार अधिनियम, 1998-की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई

राज्य सिंचाई परियोजना से संबंधित राज्य विधानमंडल समझौतों की विधायी क्षमता का आधार-विवाद

-

मध्यस्थता संदर्भ-राज्य ने 1998 का केरल अधिनियम अधिनियमित किया जिसमें समझौतों में मध्यस्थता खंडों को रद्द करने, उसके तहत नियुक्त मध्यस्थों के अधिकार को रद्द करने और कुछ मध्यस्थता संदर्भों में पहले से पारित पुरस्कारों या फरमानों के खिलाफ अपील दायर करने का प्रावधान किया गया था, जिसके संबंध में सीमा की अवधि समाप्त हो गई थी-क्या राज्य विधानमंडल के पास विधायी अधिकार थे।

राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता-किसी भी मामले में, संविधान के यू/Art.254 (2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के दृष्टिकोण से, 1998 का केरल अधिनियम केरल राज्य के भीतर प्रबल होगा।

भारत का संविधान, 1950-सातवीं अनुसूची, सूची III, प्रविष्टि 13

और Art.254 (2)-मध्यस्थता अधिनियम, 1940-सिद्धांत/सिद्धांत-पीठ और पदार्थ का सिद्धांत।

केरल मध्यस्थता खंडों को निरस्त करना और फिर से खोलना

पुरस्कार अधिनियम, 1998-चुनौती की संवैधानिक वैधता

राज्य की न्यायिक शक्तियों पर अतिक्रमण का आधार-राज्य सिंचाई परियोजना से संबंधित समझौते-विवाद मध्यस्थता संदर्भ-राज्य ने 1998 का केरल अधिनियम अधिनियमित किया जो

समझौतों में मध्यस्थता खंडों को रद्द करने, उसके तहत नियुक्त मध्यस्थों के अधिकार को रद्द करने और कुछ मामलों में पहले से पारित पुरस्कारों या फरमानों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए प्रावधान किया गया है।

[2022] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता संदर्भ जिनके संबंध में सीमा की अवधि समाप्त हो गई थी-क्या 1998 का केरल अधिनियम न्यायालयों की न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण करता है और इस तरह, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से प्रभावित थाः यद्यपि द्वारा अधिनियमित एक कानून

विधायिका स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता के भीतर प्रतीत हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में दिखाया जाता है, तो इस तरह के कानून को सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण अमान्य माना जा सकता है।

शक्तियों के पृथक्करण का अधिनियम-1998 का केरल अधिनियम, जो उन पुरस्कारों को रद्द करने का प्रभाव रखता है जो "न्यायालय के नियम" बन गए हैं, राज्य के न्यायिक कार्यों का उल्लंघन है और इसलिए,

"शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत का उल्लंघन-1998 का केरल अधिनियम राज्य की न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण करता है और इसलिए इस आधार पर असंवैधानिक होने के कारण निरस्त किया जा सकता है-सिद्धांत/सिद्धांत-"शक्तियों के पृथक्करण" का सिद्धांत।

भारत का संविधान, 1950-सातवीं अनुसूची, सूची III, प्रविष्टि

13 –मध्यस्थता-राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता

-

आयोजित किया गयाः मध्यस्थता का विषय सूची III की प्रविष्टि 13, अर्थात संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में पाया जाता है-चूंकि मध्यस्थता का विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य इसके संबंध में एक कानून भी बना सकता है।

भारत का संविधान, 1950-Art.254, खंड (2)-- संघर्ष

तथापि, Art.254 के खंड (2) को ध्यान में रखते हुए, राज्य का कानून तब प्रभावी होगा जब इसे विचार के लिए आरक्षित किया जाता है और इसकी सहमति प्राप्त होती है। भारत के राष्ट्रपति।

विधानमंडल-राज्य विधानमंडल-की विधायी क्षमता -

चुनौती, इस आधार पर कि यह संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है-आयोजितः ऐसी स्थिति में, पीठ और सार के सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि किसी दिए गए विधान के टुकड़े का संबंध किस प्रविष्टि से है-एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधानमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं होता है-संघ सूची का वर्चस्व राज्य विधानमंडल को सूची II के भीतर किसी भी मामले से निपटने से नहीं रोकेगा, हालांकि यह संयोग से सूची I में किसी भी मद को प्रभावित कर सकता है।

केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज

भारत का राज्य विधानमंडल संविधान, 1950-सातवीं अनुसूची

- सूची I, II और III।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940-निर्णय लेने के लिए निर्णय और फरमान पारित करने में अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां

मध्यस्थता पुरस्कार "न्यायालय का नियम"-आयोजित की प्रकृतिः वे न्यायिक शक्तियाँ हैं-मध्यस्थता पुरस्कार "न्यायालय का शासन" बनाने की शक्ति एक यांत्रिक शक्ति नहीं है।

संसद ने कुछ संशोधनों के साथ घरेलू मध्यस्थता पर कानून बनाने के लिए UNCITRAL मॉडल कानून पर उचित विचार किया है। हालाँकि, यह अपने आप में संसद पर UNCITRAL मॉडल कानून के अनुसार कानून बनाने के लिए बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

राज्य की विधायी प्रतियोगिता

प्रत्यायन वर्ग और पुरस्कार अधिनियम, 1998 को फिर से खोलने के लिए केरल क्रांति को लागू करने का कानूनः

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। चूंकि मध्यस्थता का विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य इसके संबंध में कानून भी बना सकता है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि इस तरह के कानून को मान्य करने के लिए, इसे भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है और उसकी सहमति प्राप्त करें। जब ऐसी सहमति प्राप्त हो जाती है, तो इस प्रकार अधिनियमित राज्य कानून या अधिनियम के प्रावधान राज्य [2022] 3 एस. सी. आर. में प्रबल होंगे।

इस विषय पर बनाया गया संसदीय अधिनियम। वर्तमान मामले में भी, केरल मध्यस्थता खंडों का निरसन और पुरस्कारों को फिर से खोलना अधिनियम, 1998 (राज्य अधिनियम) भारत के राष्ट्रपति के विचार और राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित था। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त किया गया है। इस प्रकार, इस प्रकार अधिनियमित राज्य अधिनियम केरल राज्य में लागू होगा। [पैरा 62] [423-जी-एच; 424-ए-बी]

1.2 . आम तौर पर, यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (1) को देखते हुए केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच कोई टकराव होता है, तो केंद्रीय कानून प्रबल होगा। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) को देखते हुए, राज्य का कानून तब प्रभावी होगा जब इसे विचार के लिए आरक्षित किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। [पैरा 66] [425-जी-एच; 426-ए] 1.3 . जब किसी राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि वह

संसद की विधायी क्षमता, क्योंकि कुछ प्रविष्टियाँ हैं

अतिव्यापी होने के लिए बाध्य, ऐसी स्थिति में, पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि कोई दिया गया कानून किस प्रविष्टि से संबंधित है। एक बार ऐसा होता है

यह निर्धारित किया गया है कि अन्य विधानमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र पर किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं है। अदालत को मामले के सार को देखना होगा। कानून के सही स्वरूप का पता लगाया जाना चाहिए। समग्र रूप से अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की उपेक्षा की जानी चाहिए। संघ सूची की प्रधानता नहीं होगी

1.4 . यदि कोई राज्य अधिनियम की योजना को देखता है, तो अधिनियम का विषय मध्यस्थता है। यदि राज्य इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम, सूची I में किसी भी वस्तु पर कोई आकस्मिक अतिक्रमण राज्य विधानमंडल को प्रभावित नहीं करेगा। [पैरा 72] [431-जी-एच] वह सरकार के सचिव हैं।

केरल का, इर्रिगेशियो विभाग v. जेम्स वर्गीज

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2004) 10 एस. सी. सी. 201 [2004] 1 एस. सी. आर. 564-इसके बाद आए। जी. सी. कानूनगो बनाम उड़ीसा राज्य (1995) 5 एस. सी. सी. 96: [1995] 1 पूरक। एस. सी. आर. 510; मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और एक अन्य v. एल. जी. चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2018) 10 एस. सी. सी. 826 और जी. मोहन राव और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 440-पर भरोसा किया।

महाराज उमेग सिंह और अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य और अन्य [1955] 2 एस. सी. आर. 164; मुख्य सचिव के माध्यम से गुजरात राज्य और एक अन्य v. एम्बर बिल्डर्स (2020) 2 एस. सी. सी. 540; मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और एक अन्य v. एल. जी. चौधरी इंजीनियर और ठेकेदार (2012) 3 एस. सी. सी. 495: [2012] 2 एस. सी. आर. 162; होक्स्ट फार्मास्युटिकल लिमिटेड और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य (1983) 4 एससीसी 45: [1983] 3 एस. सी. आर. 130; कवलाप्परा कोट्टाराथिल कोचुनी @मूपिल नायर बनाम। मद्रास और केरल और अन्य राज्य [1960] 3 एस. सी. आर. 887; एम. के. रंगनाथन बनाम। मद्रास सरकार और अन्य [1955] 2 एस. सी. आर. 374; कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेड v. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [1962] पूरक 3 एस. सी. आर. 1; श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य बनाम। मैसूर राज्य और अन्य [1958] एससीआर 895; फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

(2011) 8 एससीसी 333: [2011] 11 एस. सी. आर. 1; राजीव सरीन और अन्य बनाम। उत्तराखंड राज्य और अन्य (2011) 8 एससीसी 708 [2011] 9 एससीआर 1012; मगनभाई ईश्वरभाई पटेल आदि। भारत संघ और एक अन्य (1970) 3 एस. सी. सी. 400: [1969] 3 एस. सी. आर. 254; बिहार राज्य और अन्य बनाम। बिहार वाणिज्य मंडल और अन्य (1996) 9 एस. सी. सी. 136 [1996] 2 एस. सी. आर. 184; जयंत वर्मा और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2018) 4 एस. सी. सी. 743: [2018] 2 एस. सी. आर. 679; सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी बनाम ए. वी

विश्वनाथ शास्त्री और एक अन्य [1955] 1 एससीआर 448; बी. बी. राजवंशी बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1988) 2 एस. सी. सी.

415 : [1988] 3 एससीआर 469; सतीश कुमार और अन्य बनाम। सुरिंदर कुमार और अन्य [1969] 2 एससीआर 244; आंध्र [2022] 3 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदेश डेयरी विकास निगम संघ वी. बी. नरसिम्हा रेड्डी और अन्य (2011) 9 एससीसी 286: [2011] 14 एस. सी. आर. 1; सांगयोंग इंजीनियरिंग और

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522; एस. आर. ई. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड बनाम। टफ ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड (2018) 11 एससीसी 470: [2017] 12 एस. सी. आर. 933; सेवरभाई अमैदास बनाम। बॉम्बे राज्य [1955] 1 एस. सी. आर. 799; टी. बरई बनाम। हेनरी आह हो और एक और (1983) 1 एस. सी. सी. 177: [1983] 1 एस. सी. आर. 90; ग्राम पंचायत जमालपुर बनाम। मालविंदर सिंह और अन्य (1985) 3 एस. सी. सी. 661 [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 28; महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीमती कमल सुकुमार दुर्गुले और अन्य (1985) 1 एससीसी 234: [1985] 2 एससीआर 129; अशोक कुमार उर्फ गोलू बनाम। भारत संघ और अन्य (1991) 3 एस. सी. सी. 498: [1991] 2 एस. सी. आर. 858; एस. एस. बोला और अन्य बनाम बी. डी. सरदाना और अन्य (1997) 8 एस. सी. सी. 522 [1997] 2 पूरक। एस. सी. आर. 507; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और एक अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 463; केरल राज्य और अन्य बनाम। मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2012) 7 एस. सी. सी. 106 [2012 4 एस. सी. आर. 448; तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम। के. श्याम सुंदर और अन्य (2011) 8 एससीसी 737 [2011] 11 एससीआर 1094; दीप चंद और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [1959] पूरक 2 एस. सी. आर. 8; लाडली कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड v. पंजाब पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन। लिमिटेड और अन्य (2012) 4 एससीसी 609: [2012] 4 एससीआर 780; हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2020) 17 एस. सी. सी. 324: [2019] 17 एस. सी. आर. 331; के. नागराज और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 523 [1985] 2 एस. सी. आर. 579; नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और एक अन्य v. विठ्ठल राव और अन्य (1973) 1 एस. सी. सी. 500; केरल राज्य और अन्य बनाम। टी. एम. पीटर और अन्य (1980) 3 एस. सी. सी. 554; कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, 1993 उपबंध (1) एस. सी. सी. 96 (2): [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 497 और बॉम्बे राज्य और एक अन्य v. यूनाइटेड मोटर्स

(इंडिया) लिमिटेड और अन्य [1953] एससीआर 1069-संदर्भित

को।

संगठन और समन्वय के साथ-साथ

अधिनियम, 1996 को संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद द्वारा लागू किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप राज्य विधान राज्य अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं है।

2.1 . मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की प्रस्तावना से पता चलता है कि महासभा की सिफारिश

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र का UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाने के लिए है। इसके अलावा, उद्देश्यों के कथन के पैराग्राफ (2) और (3) और 1996 के अधिनियम के कारणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कानून की एकरूपता की वांछनीयता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रथाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए सभी देशों को UNCITRAL मॉडल कानून पर उचित विचार करने की सिफारिश की है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में UNCITRAL मॉडल कानून को लागू करने के लिए कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं है। किसी भी मामले में, वह सिफारिश केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रथाओं के संबंध में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद ने कुछ संशोधनों के साथ, घरेलू मुद्दों पर कानून बनाने के लिए UNCITRAL मॉडल कानून पर उचित विचार किया है।

मध्यस्थता। हालाँकि, यह अपने आप में संसद पर UNCITRAL के अनुसार कानून बनाने के लिए बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है। मॉडल कानून। [पारस 77,78 और 79] [433-डी-ई; 434-डी-एफ]

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर कानून अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर राष्ट्र आयोग) स्पष्ट रूप से बताता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के माध्यम से जो किया गया है, वह सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर आदर्श कानून पर उचित विचार करने की सिफारिश करना है।

वाणिज्यिक मध्यस्थता। हालाँकि, यह कोई बंधन नहीं बनाता है।

यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून को लागू करने के लिए राज्यों का दायित्व। [पारस 80,81] [435-जी-एच] [2022] 3 एस. सी. आर.

2.3 . 1996 का अधिनियम 1985 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर अधिनियमित किया गया है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रथाओं का संबंध है, महासभा ने केवल UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाने की सिफारिश की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव प्रकृति में केवल अनुशंसा करने वाला है और उस पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया जाता है। [पैरा 85] [437-एफ-एच]

एस. जगन्नाथ बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 2

एससीसी 87: [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 848 और मंत्री तकनीकी क्षेत्र

प्राइवेट लिमिटेड v. फॉरवर्ड फाउंडेशन और अन्य

(2019) 18 एस. सी. सी. 494-लागू नहीं होता है।

राज्य विधान की संबद्धता चालू

न्यायिक शक्तियाँः

3.1 . राज्य अधिनियम को राज्य की न्यायिक शक्तियों पर अतिक्रमण के आधार पर असंवैधानिक माना जा सकता है। [पैरा 126] [469-डी]

3.2 . वर्तमान मामले में, सभी पुरस्कारों के साथ-साथ ऐसे पुरस्कार देने वाले दीवानी न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और फरमान भी "नियम"

न्यायालयों को मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत पारित किया गया है। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की योजना के अवलोकन से ही पता चलेगा कि 1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत निर्णय और डिक्री का पारित होना केवल औपचारिकता नहीं है। फैसला तभी सुनाया जा सकता है जब अदालत संतुष्ट हो कि पुरस्कार भेजने या पुरस्कार को रद्द करने के लिए कोई कारण नहीं बनाया गया है। न्यायालय को पुरस्कारों को प्रेषित करने या संशोधित करने का भी अधिकार है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय, एक निर्णय पारित करते समय, जिसके बाद एक डिक्री आती है, न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। न्यायालय को यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए और यह एक डाकघर नहीं होना चाहिए। 1940 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां न्यायिक शक्तियां हैं और एक पुरस्कार "अदालत का शासन" बनाने की शक्ति है।

यह एक यांत्रिक शक्ति नहीं है। [पारस 94,100 और 113] [444-एच; 445 ए; 447-ई-जी; 461-ए-बी]

3.3 . यद्यपि विधायिका द्वारा अधिनियमित एक कानून स्पष्ट रूप से हो सकता है

ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसकी क्षमता के भीतर है, लेकिन फिर भी यदि इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में दिखाया जाता है, तो इस तरह के कानून को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए अमान्य किया जा सकता है। [पैरा 120] [466-डी-ई] सरकार का सचिव।

केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज

3.4 . राज्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि राज्य अधिनियम तब से लागू किया गया है जब राज्य सरकार इसके खिलाफ पारित विभिन्न पुरस्कारों से व्यथित थी। इसलिए सार्वजनिक हित में समझौते में मध्यस्थता खंड को रद्द करना, उसके तहत नियुक्त मध्यस्थों के अधिकार को रद्द करना और पुरस्कारों या फरमानों के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाना समीचीन पाया गया। अधिकांश पुरस्कार 1993 से पहले "न्यायालय के नियम" बनाए गए थे। कई मामलों में राज्य सरकार द्वारा अपीलों को भी प्राथमिकता दी गई थी।

राज्य अधिनियम में विधायी निर्देश निस्संदेह हस्तक्षेप करते हैं न्यायिक कार्य। यह भी स्पष्ट है कि यह कानून पारित किए गए पुरस्कारों को लक्षित करता है जो "न्यायालय का नियम" बन गए हैं। 1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत अदालतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां राज्य की न्यायिक शक्तियां हैं। राज्य अधिनियम की शर्तों पर विचार करने पर, जिन मुद्दों से यह निपटता है, यह स्पष्ट है कि राज्य अधिनियम न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है। [पैरा 121]

[466 - जी-एच; 467-ए-सी]

3.5 . राज्य अधिनियम द्वारा जो किया गया है, वह न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कारों और निर्णयों और फरमानों को रद्द कर रहा है।

जिन पुरस्कारों को "न्यायालय का नियम" बनाया गया था। इस प्रकार, राज्य अधिनियम के अधिनियमन से बहुत पहले पक्षों को जो अधिकार प्राप्त हुए थे, उन्हें उसके द्वारा छीनने की मांग की गई है। राज्य अधिनियम, जो उन पुरस्कारों को रद्द करने का प्रभाव रखता है जो "न्यायालय के नियम" बन गए हैं, राज्य के न्यायिक कार्यों का उल्लंघन है और इसलिए, "शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार, राज्य अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। [पैरा 122,125] [467-सी-डी;

469 - सी]

जी. सी. कानूनगो बनाम उड़ीसा राज्य (1995) 5 एससीसी 96: [1995] 1 पूरक। एस. सी. आर. 510-प्रति इनक्यूरियम आयोजित और

सब साइलेन्टियो के नियम से प्रभावित।

हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम श्याम सुंदर झुनझुनवाला और अन्य [1962] 2 एससीआर 339;

शंकरलाल अग्रवाल और अन्य बनाम। शंकरलाल पोद्दार और अन्य (1964) 1 एस. सी. आर. 717; बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और अन्य [1955] 2 एस. सी. आर. 603; एस. बी. पी. एंड कंपनी v. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और [2022] 3 एस. सी. आर

एक और (2005) 8 एस. सी. सी. 618 [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 688 और तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और दूसरा (2014) 12 एस. सी. सी. 696 [2014] 12 एस. सी. आर. 875-इसके बाद आया।

यू. पी. राज्य और एक अन्य बनाम सिंथेटिक्स और रसायन लिमिटेड और एक अन्य (1991) 4 एस. सी. सी. 139: [1991] 3 एससीआर 64; संदीप कुमार बाफना बनाम। महाराष्ट्र राज्य और

एक और (2014) 16 एससीसी 623: [2014] 4 एस. सी. आर. 486; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम जे. सी. बुधराजा, सरकार

और खनन ठेकेदार (1999) 8 एस. सी. सी. 122: [1999]

2 पूरक। एस. सी. आर. 155; पी. तुलसी दास और अन्य बनाम सरकार. ए. पी. और अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 364 [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 307 और रामचंद्र रेड्डी एंड कंपनी बनाम की स्थिति एपी और अन्य (2001) 4 एससीसी 241: [2001] 2 एससीआर 186

- पर भरोसा किया।

निष्कर्षः

4.1 . सार और सार में राज्य अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 के लिए संदर्भित है।

और न ही सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 12,13,14 और 37 और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के लिए। इसलिए, राज्य अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है। किसी भी मामले में, राष्ट्रपति की सहमति को देखते हुए

और मध्यस्थता पुरस्कार "न्यायालय का नियम" बनाने के लिए आदेश न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं है, 1940 के अधिनियम के प्रावधानों और हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड और शंकरलाल अग्रवाल और अन्य के मामलों में संविधान पीठ के निर्णयों के अनुसार है। [पैरा 127] [469-जी-एच] 4.3 . केरल के उच्च न्यायालय का यह मानना कानूनी रूप से सही है कि राज्य अधिनियम राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करता है और

इसलिए इसे असंवैधानिक होने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। [पैरा 127] [470-ए-बी] सरकार का सचिव।

केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज

मामला कानून संदर्भ

[1955] 2 एससीआर 164

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

(2020) 2 एस. सी. सी. 540

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[2012] 2 एससीआर 162

पैरा

18

संदर्भित किया गया है

(2018) 10 एस. सी. सी. 826

उस पर भरोसा करें

पैरा

18

[1983] 3 एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2004] 1 एससीआर 564

पैरा

20

पीछा किया।

[1960] 3 एससीआर 887

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[1955] 2 एससीआर 374

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1962] पूरक 3 एस. सी. आर. 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

23

[1958] एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पैरा

23

[2011] 11 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

26

[2011] 9 एससीआर 1012

पैरा

27

संदर्भित किया गया है

[1969] 3 एससीआर 254

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[1996] 9 पूरक। एससीआर 848

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

31

(2019) 18 एससीसी 494

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

32

[1996] 2 एससीआर 184

पैरा

32

संदर्भित किया गया है

[2018] 2 एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1955] 1 एससीआर 448

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[1988] 3 एससीआर 469

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[1969] 2 एससीआर 244

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

[2011] 14 एससीआर 1

पैरा

37

संदर्भित किया गया है

[2019] 7 एससीआर 522

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2017] 12 एससीआर 933

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

पैरा

41

[1983] 1 एससीआर 90

पैरा

41

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 पूरक। एससीआर 28

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 एससीआर 129

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[1991] 2 एससीआर 858

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

[1997] 2 पूरक। एससीआर 507

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[2012] 4 एससीआर 448

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

[2011] 11 एससीआर 1094

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1959] 2 पूरक। एस. सी. आर 8

पै

रा 48

संदर्भित किया गया है

[2012] 4 एससीआर 780

पै

रा 49

संदर्भित किया गया है

[2019] 17 एससीआर 331

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

[1985] 2 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पै

रा 53

(1973) 1 एससीसी 500

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

(1980) 3 एस. सी. सी. 554

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

[1995] 1 पूरक। एससीआर 510

उस पर भरोसा करें

पै

रा 61

[1991] 2 पूरक। एससीआर 497

पै

रा 92

संदर्भित किया गया है

[1962] 2 एससीआर 339

पीछा किया।

पै

रा 10

[1964] 1 एससीआर 717

पीछा किया।

पै

रा 10

[1955] 2 एससीआर 603

पीछा किया।

पै

रा 10

[1953] एससीआर 1069

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1991] 3 एससीआर 64

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2014] 4 एससीआर 486

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[1995] 1 पूरक। एससीआर 510

इनक्यूरियम के अनुसार आयोजित

पै

रा 11

और नियम से भी प्रभावित

उप मौन का

[1999] 2 पूरक। एससीआर 155

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2001] 2 एससीआर 186

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2005] 4 पूरक। एससीआर 688

पीछा किया।

पै

रा 11

[2014] 12 एससीआर 875

पीछा किया।

पै

रा 11

[2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 303

उस पर भरोसा करें

पैरा 12-सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6258

2014 से। 1998 के ओ. पी. No.4206 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील सं। 9236 , 9241 , 9226 , 6268 , 6264 , 6265 , 6266 , 6260 , 6262 , 6259 , 6267 2014 की सिविल अपील, 2015 की सिविल अपील

Nos.6261,8995,9022,9016,9005,8998,9009,8997,9002,8996,8999,9007,9004,9003,9008,9017,9000,9001,9215,9213,9018,9217,9006,9019,9219,9237,9225,9221,9238,9023,9233,9244,9224,9222,9212,9211,9222,9020,9210 और 2014 की 9239, सिविल अपील 2017 की No.3010, सिविल अपील

अपील Nos.2824,2825 और 2022 की 2826।

कृष्णन वेणुगोपाल, जयदीप गुप्ता, पल्लव सिसोदिया, प्रशांतो

चंद्र सेन, सी. एन. श्रीकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुरीकोस वर्गीज, वी. श्यामोहन, सूर्य प्रकाश, कौशिक मिश्रा, सुश्री दीपांशी इशर, सुश्री पल्लवी श्रीवास्तव, जे. राजेश, सुश्री अस्तू खंडेलवाल, अक्षत गोगना, मैसर्स केएमएनपी लॉ, सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह, सुश्री मीना पी., सुश्री मनिका प्रिया सरवनन, रिद्धी बोस, सिद्धार्थ, अब्राहम सी. मैथ्यूज, मोहम्मद सादिक टी. ए., सुश्री अनु के. जॉय, आलिम अनवर, राजीव मिश्रा, सानंद रामकृष्णन, सुनील नारायणन, जॉन मैथ्यू, बाबू थॉमस

के., विल्स मैथ्यूज, गिनेश पी., देवेंद्र कुमार तिवारी, पॉल जॉन एडिसन, राबिन मजूमदार, सुश्री अभिस्मी सौजन्या, सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, सुश्री इशिता चौधरी, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, अखिल अब्राहम, आदित्य कोशी, हिमिंदर लाल, अल्जो के. जोसेफ, सुश्री शेला के., श्रीमती सुधा गुप्ता, रंजन कुमार, रितेश कुमार चौधरी, राजेश पी., सुश्री अनुपमा कुमार, अमित शर्मा, प्रकाश रंजन नायक, पी. आई. जोस, प्रशांत के. शर्मा, सुश्री जेनिस वी. फ्रांसिस, के. वी. मोहन, मेरी एस. मैथ्यू, हितेश उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. केरल को अधिनियमित करने के लिए केरल राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के संबंध में कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न मध्यस्थता खंडों का निरसन और पुरस्कार अधिनियम, 1998 [2022] को फिर से खोलना 3 एस. सी. आर.

(इसके बाद "राज्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और यह कि क्या राज्य अधिनियम राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करता है, वर्तमान अपीलों में शामिल हैं।

- पृष्ठभूमिः

2. एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय ने 1998 के ओ. पी. No.4206 में दिए गए 9 जुलाई 2013 के विवादित फैसले द्वारा और

सहयोगी मामलों में, राज्य अधिनियम को केरल राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे माना गया है और इस तरह, इसे असंवैधानिक माना गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि राज्य अधिनियम का प्रभाव मध्यस्थों के निर्णयों और अदालतों द्वारा पारित निर्णयों और फरमानों को रद्द करने पर पड़ा है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य अधिनियम राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करता है। इससे व्यथित होकर केरल राज्य ने विभिन्न अपीलें दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. केरल राज्य ने वर्ष 1961 में कल्लाडा सिंचाई परियोजना (जिसे इसके बाद "उक्त परियोजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) का निर्माण शुरू किया था। उक्त परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की वित्तीय सहायता से निष्पादित करने का प्रस्ताव था।

जून 1982 से मार्च 1989 तक विकास (संक्षेप में "विश्व बैंक")। विश्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार, उक्त परियोजना से जुड़े कार्यों से संबंधित समझौतों में एक विशेष शर्त अर्थात् स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली विनिर्देश (जिसे इसके बाद "एलसीबीएस" के रूप में संदर्भित किया गया है) को शामिल किया गया था।

एल. सी. बी. एस. के खंड 51 और 52 में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद या मतभेद के मामलों के निपटारे का प्रावधान किया गया है। विवाद या मतभेद के मामलों को न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से तेजी से निपटाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से भी ऐसा ही किया गया था। केरल राज्य ने पाया कि विभिन्न विवादों और मतभेदों के कारण, मध्यस्थता संदर्भों का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि कई मध्यस्थों ने गलत तरीके से और

मनमाने ढंग से समझौतों के प्रावधानों के खिलाफ और रिकॉर्ड पर सामग्री के बिना, दावेदार के साथ मिलीभगत में अनुचित राशि प्रदान की गई

ठेकेदारों और विभाग के अधिकारियों, जिससे राज्य को भारी नुकसान होता है। इस प्रकार, केरल राज्य ने इसे आवश्यक माना,

लोक हित, एल. सी. बी. एस. के संदर्भ में निष्पादित समझौतों में मध्यस्थता खंडों को रद्द करने के लिए, मध्यस्थों के अधिकार को रद्द करने के लिए इसके तहत नियुक्त किया जाता है और सरकार के सचिव के संबंध में कुछ मध्यस्थता संदर्भों में पहले से पारित पुरस्कारों या फरमानों के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाता है।

केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]एच सीमा की अवधि समाप्त हो गई थी। इस प्रकार, राज्य अधिनियम आया

14 नवंबर 1997 से प्रभावी।

4. राज्य अधिनियम एक संक्षिप्त अधिनियम है और इसलिए, हम इसे मानते हैं

उसी को पूरी तरह से निम्नानुसार पुनः पेश करने के लिए मूल्यवान हैः

" केरल मध्यस्थता खंडों को निरस्त करना और फिर से खोलना

पुरस्कार अधिनियम, 1998

प्रस्तावना धारा 1-संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग

(1) इस अधिनियम को केरल मध्यस्थता निरसन कहा जा सकता है।

खंड और पुरस्कार अधिनियम, 1998 को फिर से खोलना।

(3) यह माना जाएगा कि यह 14 नवंबर, 1997 को लागू हुआ था। (4) यह स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली विनिर्देशन के संदर्भ में निष्पादित सभी समझौतों पर लागू होगा।

खंड 2-परिभाषाएँ

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) "समझौता" का अर्थ है निष्पादित किया गया समझौता -

विभिन्न कार्यों के लिए स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली विनिर्देश

केरल सरकार का;

(ख) "स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली विनिर्देशन" का अर्थ है सरकार द्वारा अपनाया गया स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली विनिर्देशन।

उनके आदेश जी. ओ. में (सुश्री) सं. 3/81/आई एंड आर दिनांक 20 जनवरी,

1981 .

(2) इस अधिनियम में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ

(ख) मध्यस्थता और सुलह। अधिनियम, 1996 (1996 का केंद्रीय अधिनियम 26), मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में शुरू हुआ या 25 जनवरी, 1996 के बाद, [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 3-मध्यस्थता खंडों को रद्द करना और मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करना। (1) भारतीय अनुबंध अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

1872 (1872 का केंद्रीय अधिनियम 9) या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में।

(1996 का केंद्रीय अधिनियम 26) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी समझौते या अन्य लिखत में,

((iii) खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते का होना समाप्त हो जाएगा। प्रभाव जहाँ तक यह विवाद या मतभेद के मामलों से संबंधित है

संदर्भित,

इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को और उससे प्रभावी। (2) उप-धारा (1) की कोई बात किसी समझौते के किसी भी पक्ष के लिए उस मामले में मुकदमा दायर करने के लिए बाधा नहीं होगी, जिसमें समझौता संबंधित है और समझौते के पक्षों या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच समझौते की वैधता या प्रभाव के बारे में सभी प्रश्न और समझौते के पक्षों के बीच विवाद या मतभेद के सभी मामले

न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए, जैसे कि मध्यस्थता खंडों को समझौते में कभी शामिल नहीं किया गया था।

धारा 4-मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) या मध्यस्थता और सुलह में कुछ भी निहित होने के बावजूद

अधिनियम, 1996 (1996 का केंद्रीय अधिनियम 26) या सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केंद्रीय अधिनियम 36) में, धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत मुकदमा शुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर दायर किया जा सकता है। इस अधिनियम के या ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केंद्रीय अधिनियम 36) के प्रावधानों द्वारा अनुमत है, ऐसे मुकदमों के संबंध में, जो भी बाद में हो।

धारा 5 के विरुद्ध अपील दायर करने की सरकार की शक्ति कुछ पुरस्कार

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केंद्रीय अधिनियम 26) या सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केंद्रीय अधिनियम 36) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी समझौते या अन्य लिखत में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां सरकार को यह प्रतीत होता है कि पारित किया गया कोई भी पुरस्कार समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं है या मध्यस्थ के समक्ष प्रासंगिक डेटा या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में विफलता है या पारित किया गया पुरस्कार अनुचित राशि का है, वे नब्बे के भीतर ऐसे पुरस्कार के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।

इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के दिन।

धारा 6 न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया

संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) के प्रावधान न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों और इसके तहत सभी अपीलों पर लागू होंगे। यह अधिनियम।

धारा 7-मध्यस्थता अधिनियम लागू नहीं होगा

इस अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी कार्यवाही पर लागू होंगे, भले ही इसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केंद्रीय अधिनियम 26) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ कुछ भी असंगत हो।

धारा 8-निरसन और बचत

(1) केरल मध्यस्थता खंडों का निरसन और पुरस्कारों को फिर से खोलना अध्यादेश, 1998 (1998 का 6), इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, कुछ भी किया गया या किया गया माना गया या कोई कार्रवाई की गई या की गई मानी गई

उक्त अध्यादेश के तहत किया गया माना जाएगा या

इस अधिनियम के तहत लिया गया "।

5. राज्य अधिनियम की धारा 3 में "रद्द करने" का प्रावधान है।

ए. टी. आई. एन. खंड और मध्यस्थ के अधिकार का प्रतिसंहरण। राज्य अधिनियम की उप-धारा 3 में प्रावधान है कि किसी भी चीज़ के बावजूद [2022] 3 एस. सी. आर.

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (इसके बाद "1940 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) या किसी भी अधिनियम में निहित है।

तत्काल प्रवृत्त अन्य विधि या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी समझौते या अन्य लिखत में, प्रत्येक समझौते में मध्यस्थता खंड रद्द हो जाएंगे; खंड (i) में निर्दिष्ट समझौते के तहत नियुक्त मध्यस्थ का अधिकार निरस्त हो जाएगा; और खंड (i) में निर्दिष्ट कोई भी समझौता उस हद तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह संदर्भित विवाद या मतभेद के मामलों से संबंधित है। यह राज्य अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रभावी होगा। राज्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि राज्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रदान की गई कोई भी बात किसी भी पक्ष के लिए समझौता दायर करने के लिए बाधा नहीं होगी। जिस मामले में समझौता संबंधित है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में वाद और समझौते के पक्षों या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच समझौते की वैधता या प्रभाव के बारे में सभी प्रश्न और समझौते के पक्षों के बीच विवाद या मतभेद के सभी मामले अदालत द्वारा तय किए जाएंगे, जैसे कि मध्यस्थता खंड कभी भी समझौते में शामिल नहीं किए गए थे।

6. राज्य अधिनियम की धारा 4 एक पक्ष को राज्य अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर राज्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाती है।

जो सीमा अधिनियम, 1963 (इसके बाद "1963 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा अनुमत है, ऐसे मुकदमों के संबंध में, जो भी बाद में हो। यह 1940 के अधिनियम या 1996 के अधिनियम या 1963 के अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद है।

7. राज्य अधिनियम की धारा 5 राज्य सरकार को किसी भी पुरस्कार के खिलाफ 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर करने में सक्षम बनाती है।

राज्य अधिनियम का प्रारंभ, जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि पारित किया गया कोई भी पुरस्कार समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं है या पुरस्कार पारित करने से पहले मध्यस्थ के समक्ष प्रासंगिक डेटा या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में विफलता थी या पारित किया गया पुरस्कार अनुचित राशि का है। पुनः, यह 1940 के अधिनियम में या 1996 के अधिनियम में या 1963 के अधिनियम में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी समझौते या अन्य में निहित किसी भी बात के बावजूद है।

यंत्र।

सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

8. राज्य अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट करती है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित) न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों और राज्य अधिनियम के तहत सभी अपीलों पर लागू होगी।

9. राज्य अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि

राज्य अधिनियम राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी कार्यवाही पर लागू होगा, भले ही उसमें 1940 के अधिनियम या 1996 के अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ कुछ भी असंगत हो। 10. राज्य अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) केरल मध्यस्थता खंडों के निरसन और पुरस्कारों को फिर से खोलने के अध्यादेश को निरस्त करती है।

1998. राज्य अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इस तरह के निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश के तहत कुछ भी किया गया या किया गया माना गया या की गई या की गई कोई कार्रवाई राज्य अधिनियम के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।

11. राज्य अधिनियम के अधिनियमन के तुरंत बाद, कई

केरल उच्च न्यायालय में इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गईं। विवादित निर्णय द्वारा, केरल के उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को अनुमति दी और राज्य अधिनियम को घोषित किया

असंवैधानिक, राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे होना।

12. यह ध्यान देने योग्य होगा कि राज्य अधिनियम भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित था और उसे उनकी सहमति मिल गई थी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत आवश्यक है।

13. केरल के उच्च न्यायालय के साथ वजन करने वाले कारण

राज्य अधिनियम को असंवैधानिक ठहराना निम्नानुसार हैः

((i)

कि 1940 अधिनियम, मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937 (इसके बाद "1937 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (इसके बाद "1961 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) पुराने हो गए थे। इस प्रकार, संसद ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (संक्षेप में "UNCITRAL") मॉडल कानून और नियमों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता और सुलह के संबंध में एक कानून बनाना समीचीन पाया। 1996 का अधिनियम विभिन्न कानूनी [2022] 3 एस. सी. आर. के मध्यस्थता और सुलह पर अवधारणाओं को सुसंगत बनाने के स्पष्ट इरादे से अधिनियमित किया गया था।

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

UNCITRAL मॉडल के आधार पर दुनिया की प्रणालियाँ

कानून और नियम। इस प्रकार, 1996 के अधिनियम द्वारा निपटाए गए मामले केवल भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 के तहत आने वाले मामले नहीं थे, बल्कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 10 से 14 के भीतर आने वाले मामले भी थे।

चूँकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियाँ 10 से 14 विदेश मामलों, विदेशी देशों के साथ संबंधों, संयुक्त राष्ट्र संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और अन्य निकायों में भागीदारी और उन पर किए गए निर्णयों को लागू करने, संधियों और समझौतों में प्रवेश करने और संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने से संबंधित हैं, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 की प्रयोज्यता का मुद्दा उत्पन्न होगा। इस प्रकार, केंद्रीय संसद के पास एक प्रमुख विधायी शक्ति थी भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कोई कानून बनाना। एक बार जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के लिए संदर्भित केंद्रीय विधान अस्तित्व में आ जाता है, तो राज्य अधिनियम को केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत प्राप्त राष्ट्रपति की सहमति को देखते हुए मान्य नहीं कहा जा सकता है।

कि संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 (1) (बी) के तहत संसद की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। इस प्रकार, 1996 का अधिनियम केंद्रीय विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है ताकि -

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार की कार्यकारी शक्ति को प्रभावी बनाना। इस प्रकार, यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत सहमति दी है।

भारत का संविधान राज्य अधिनियम को मान्य करेगा, फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 का उद्देश्य

भारत बर्बाद हो जाएगा;

कि एल. सी. बी. एस. का पता केवल संघ सूची में प्रविष्टियों से लगाया जा सकता है, विशेष रूप से, प्रविष्टि 37 के साथ-साथ, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 10 और 14 से भी।

भारत। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 37 विदेशी ऋणों से संबंधित है।

कि सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

भारत के संविधान का अनुच्छेद 292 विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। कि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता भी मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 (1) (बी) के लिए संदर्भित संघ की कार्यकारी शक्ति के भीतर आती है और इस तरह, राज्य अधिनियम विधायी से परे था।

राज्य विधानमंडल की क्षमता;

(v)

कि जिन कार्यवाहियों को विषय बनाया गया था 1940 के अधिनियम और 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अदालतों के माध्यम से राज्य अधिनियम के प्रावधानों को केवल राज्य की न्यायिक शक्ति के भीतर ही निपटाया जा सकता था। इस प्रकार, विवादित विधान राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण था जिसका प्रयोग अदालतों के माध्यम से पहले से बनाए गए और लागू कानूनों के संदर्भ में किया जाता था। यह गुणवत्ता सिद्धांत और न्यायिक कार्य को रोकने वाले स्वीकृत संवैधानिक सिद्धांतों को बाधित करता है जो मौलिक संवैधानिक मूल्यों के हिस्से के रूप में न्याय प्रदान करने के लिए प्रमुख है, जिसमें शामिल हैं -

शक्तियों का पृथक्करण; और

कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि कोई

(vi)

मध्यस्थों द्वारा कदाचार के संबंध में राज्य अधिनियम की प्रस्तावना में अनावश्यक बयानों को छोड़कर प्रासंगिक सामग्री ने विधायिका का ध्यान आकर्षित किया था। इस प्रकार, राज्य अधिनियम उक्त आधार पर भी प्रभावित होता है।

14. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता और श्री पल्लव शीशोदिया को व्यापक रूप से सुना है।

श्री कृष्णन वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रतिवादियों की ओर से दलीलों का नेतृत्व किया। श्री वेणुगोपाल की दलीलों को श्री पी. सी. सेन, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सी. एन. श्रीकुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्रीमती. श्री हरिप्रिया पद्मनाभन, विद्वान वकील, श्री कुरियाकोस वर्गीज, विद्वान वकील, श्री जॉन मैथ्यू, विद्वान वकील और श्री रॉय अब्राहम, विद्वान वकील।

- अपीलकर्ताओं के स्वयं के बारे में सुझावः

15. वरिष्ठ वकील श्री गुप्ता ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय का विवादित फैसला विभिन्न आधारों पर प्रभावित करता है। श्री.

गुप्ता ने आगे कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने एक बुनियादी [2022] 3 एस. सी. आर. के लिए प्रतिबद्ध किया है।

यह मानने में त्रुटि कि 1996 का अधिनियम सार्वभौमिक रूप से लागू है। उन्होंने कहा कि 1996 का अधिनियम तभी लागू होगा जब कोई समझौता हो। पक्षकारों के बीच, जिसके द्वारा वे अपने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने पर सहमत हुए हैं। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि द्वारा क्या किया गया है

राज्य अधिनियम एक कानून द्वारा अनुबंध का निरसन है और इस प्रकार, राज्य अधिनियम या उसका एक हिस्सा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 7 के लिए संदर्भित होगा।

16. श्री गुप्ता ने कहा कि शेष कानून मध्यस्थता खंड को रद्द करने के परिणामों से संबंधित है।

समझौता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी समझौते को रद्द करने पर, राज्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) किसी को भी अवसर प्रदान करती है।

एक सक्षम दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए समझौते के पक्षकार। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम की धारा 4 मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि को बढ़ाती है। राज्य अधिनियम की धारा 5 राज्य सरकार को उसमें बताए गए विभिन्न आधारों पर पुरस्कार को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। एक निश्चित अवधि के भीतर। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टियों 7 और 13 के लिए संदर्भित है और इस प्रकार, निम्नलिखित विधायी क्षमता के भीतर -

राज्य विधानमंडल।

17. श्री गुप्ता ने आगे कहा कि विधायी क्षमता

राज्य विधानमंडल को केवल एक्सप्रेस द्वारा सीमित किया जा सकता है स्वयं भारत के संविधान में निहित निषेध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक भारत के संविधान में इस विषय पर कानून को पूरी तरह से या सशर्त रूप से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, तब तक उस पूर्ण शक्ति पर कोई बाधा या सीमा नहीं हो सकती है जो राज्य विधानमंडल को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने के लिए प्राप्त है। इस प्रस्ताव के समर्थन में, वह महाराज उमेग सिंह और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। बम्बई राज्य और

अन्य 1.

18. श्री गुप्ता ने आगे कहा कि कोई तिरस्कार नहीं है

1996 के अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1996 का अधिनियम लागू होगा जहां समझौते में मध्यस्थता खंड है। यदि समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है, तो 1996 का अधिनियम लागू नहीं होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1996 का अधिनियम स्वयं सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 के संदर्भ में अधिनियमित एक विधान है।

1 [1955] 2 एस. सी. आर. 164 सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

भारत का संविधान। इस प्रस्ताव के समर्थन में, वह जी. सी. के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है। कानूनगो बनाम। उड़ीसा राज्य 2, मुख्य सचिव के माध्यम से गुजरात राज्य और एक अन्य v. एम्बर

बिल्डर 3, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और एक अन्य v. एल. जी. चौधरी इंजीनियर और ठेकेदार (इसके बाद "एमपी ग्रामीण 2012" के रूप में संदर्भित), मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और एक अन्य v. एल. जी. चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स 5 (इसके बाद "एमपी रूरल 2018" के रूप में संदर्भित)।

19. श्री गुप्ता ने कहा कि यह मानते हुए, लेकिन यह स्वीकार किए बिना कि 1996 के अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच कुछ टकराव है, राज्य अधिनियम भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) को देखते हुए 1996 के अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होगा।

20. श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं है। वह.

प्रस्तुत किया कि केरल उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में कई प्रविष्टियां हैं, इसलिए कुछ अतिव्यापी होना तय है। ऐसी स्थिति में, पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू करने की आवश्यकता होती है कि कोई दिया गया विधान किस प्रविष्टि से संबंधित है। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्य और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब कोई कानून है जिस प्रविष्टि के संबंध में कोई राज्य कानून बनाने के लिए सक्षम है, उस प्रविष्टि का पता लगाने योग्य, सार और सार में, फिर दूसरी प्रविष्टि पर आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की अवहेलना करनी होगी। इस संबंध में होक्स्ट के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है।

फार्मास्युटिकल लिमिटेड और अन्य बनाम। बिहार और अन्य राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि विवादित विधान भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टियों 7 और 13 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक विधान है, इसलिए यह राज्य अधिनियम को अमान्य नहीं करेगा। 2 (1995) 5 एससीसी 96

3 3 (2020) 2 एससीसी 540

4 (2012) 3 एससीसी 495

6 (1983) 4 एससीसी 45 7 (2004) 10 एससीसी 201 [2022] 3 एस. सी. आर.

21. श्री गुप्ता ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने भी यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि 1996 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के लिए संदर्भित है।

भारत का संविधान। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए UNCITRAL मॉडल कानून ने सिफारिश की है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानूनों को लागू करते समय इस पर उचित विचार करें।

अभ्यास। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, किसी भी मामले में, आदर्श कानून न तो एक संधि है और न ही एक समझौता, सम्मेलन, निर्णय के अर्थ के भीतर है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 या उस मामले के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के 13 और 14 में प्रवेश करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांत का पालन करते हुए, शब्द ' 'निर्णय' को ऐसे निर्णय के रूप में समझना होगा जिसका अर्थ राज्यों पर एक बाध्यकारी दायित्व होगा। इस संबंध में, वह कवलाप्परा कोट्टाराथिल कोचुनी @मूपिल के मामले में इस अदालत के फैसले पर निर्भर है।

नायर वी। मद्रास और केरल और अन्य राज्य। 22. श्री गुप्ता निर्माण के नियम पर भी निर्भर करते हैं जिसे नोसितुर ए सोसाइटिस के नाम से जाना जाता है, यानी किसी शब्द का अर्थ उस कंपनी द्वारा आंका जाता है जिसे वह रखती है। इस संबंध में, वह इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है

एम. के. रंगनाथन बनाम के मामले में। मद्रास सरकार और अन्य '। 23. श्री गुप्ता ने आगे कहा कि यह संविधान के निर्माण का एक व्यवस्थित नियम है, कि न केवल अलग-अलग सूचियों के, बल्कि एक ही सूची के स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी प्रावधानों और प्रविष्टियों को सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और उस निर्माण को अस्वीकार किया जाना चाहिए जो इसकी पूरी सामग्री की प्रविष्टियों में से एक को लूट लेगा और इसे निरर्थक बना देगा।

इस संबंध में, वह कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेड के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 1 0 और श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य बनाम। मैसूर राज्य और अन्य 1 1.

24. श्री गुप्ता ने आगे कहा कि चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के प्रावधानों का प्रभाव शक्ति को सीमित करने का है

राज्य विधानमंडल के, उक्त अनुच्छेद को सूची II में प्रविष्टियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सबसे संकीर्ण संभव अर्थ दिया जाना चाहिए और

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची का तृतीय। उन्होंने प्रस्तुत किया

8 [1960] 3 एससीआर 887

9 [1955] 2 एससीआर 374

10 1962 पूरक (3) एस. सी. आर. 1

कि यह व्याख्या करके किया जा सकता है कि केवल बाध्यकारी दायित्व को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित विधान ही उक्त अनुच्छेद के दायरे में आते हैं।

25. श्री गुप्ता ने आगे कहा कि आदर्श कानून एक सुझाव है

कानून निर्माताओं के लिए पैटर्न जो केवल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में अपनाई जाने वाली प्रथाओं की सिफारिश करता है और घरेलू मध्यस्थता के लिए नहीं और इस तरह, यह नहीं माना जा सकता है कि जहां तक घरेलू मध्यस्थता का संबंध है, इसका कोई बाध्यकारी दायित्व है।

26. श्री शीशोदिया, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

1996 के अधिनियम से पहले की वैधानिक योजना, 1940 के अधिनियम द्वारा शासित

शासित

घरेलू मध्यस्थता, जबकि 1937 अधिनियम और 1961 अधिनियम

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1996 के अधिनियम में, घरेलू मध्यस्थता भाग I द्वारा शासित होती है, जबकि भाग II अलग-अलग विशिष्ट प्रावधानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को नियंत्रित करता है।

जिनेवा कन्वेंशन अवाड्र्स और न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवाड्र्स के लिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालाँकि, 1996 के अधिनियम में भी, एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के बीच ऐतिहासिक और समकालीन अंतर है। और घरेलू मध्यस्थता बनी रहती है। इस संबंध में, वह फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। जिंदल

एक्सपोर्ट्स लिमिटेड "2. उन्होंने कहा कि 1996 का अधिनियम वास्तव में तीन अलग-अलग अधिनियमों को समेकित, संशोधित और एक साथ रखता है।

27. श्री शीशोदिया ने आगे कहा कि राष्ट्रपति के बाद

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत सहमति प्राप्त हुई थी, केंद्रीय कानून के प्रतिकूल माने जाने वाले राज्य के कानून पर लागू होने वाली कसौटी यह है कि "दोनों अधिनियमों के लागू होने की कोई गुंजाइश या संभावना नहीं है"। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह की कोई निंदा नहीं की गई है

राज्य अधिनियम बनाम 1940 अधिनियम और 1996 अधिनियम में प्रतिवादी। इस संबंध में, वह राजीव सरीन और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। उत्तराखंड राज्य और अन्य 1 3.

28. श्री शीशोदिया और श्री गुप्ता ने कहा कि केवल

क्योंकि उक्त परियोजना का कुछ हिस्सा विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है, यह राज्य अधिनियम को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 के लिए संदर्भित है।

- स्वयं जवाबदेहों के बारे में सुझावः

29. इसके विपरीत, श्री वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए

कुछ उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया कि राज्य अधिनियम 12 (2011) 8 एस. सी. सी. 333 है।

13 (2011) 8 एससीसी 708 [2022] 3 एस. सी. आर.

यह पूरी तरह से मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम मनमाने ढंग से उक्त परियोजना को अलग करता है। केरल में सभी परियोजनाओं में से 1961 में समझौतों में मध्यस्थता खंडों को निरस्त करने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केरल के उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि राज्य सरकार द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि मध्यस्थों और दावेदार ठेकेदारों के बीच सांठगांठ के कारण मिलीजुली पुरस्कार दिए गए थे।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम का पता भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 12,13,14 के साथ-साथ प्रविष्टि 37 से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रविष्टि 12 से 14 संयुक्त राष्ट्र संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और अन्य निकायों में भागीदारी और उन पर किए गए निर्णयों को लागू करने और विदेशों के साथ संधियों और समझौतों में प्रवेश करने और विदेशों के साथ संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने से संबंधित हैं। देशों। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य ने एक विधानमंडल अधिनियमित किया है जो इन प्रविष्टियों से संबंधित है, जो विशेष रूप से संघ विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रविष्टि 37 विदेशी ऋणों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य अधिनियम विश्व बैंक से लिए गए ऋणों से निपटने का प्रयास करता है, इसलिए यह केंद्रीय विधानमंडल के लिए आरक्षित विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण होगा। इसलिए यह

प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम इस संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है

प्रविष्टियों की जो विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हैं

विधान और इस प्रकार, राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी का सवाल तभी उठेगा जब कानून सूची III, यानी समवर्ती सूची में शामिल वस्तुओं के संबंध में हो। चूँकि राज्य अधिनियम विशेष रूप से सूची I में प्रविष्टियों से संबंधित है, इसलिए राष्ट्रपति की सहमति का राज्य अधिनियम को बचाने के लिए कोई परिणाम नहीं होगा।

31. श्री वेणुगोपाल ने कहा कि 1996 का अधिनियम स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के लिए संदर्भित है।

संयुक्त राष्ट्र की सभा 11 दिसंबर 1985 को आयोजित हुई। के समर्थन में उक्त निवेदन, वह मगनभाई ईश्वरभाई पटेल आदि के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। भारत संघ और अन्य 1 4.

एस. जगन्नाथ बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। भारत संघ और अन्य ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 अधिनियमित कानूनों पर भी लागू होगा।

4 (1970) 3 एस. सी. सी. 400

15 (1997) 2 एस. सी. सी. 87-सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए, जो प्रकृति में बाध्यकारी नहीं हैं।

32. श्री वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित एक कानून राज्य विधानमंडल को इसके अधिकार से वंचित कर देगा।

एक ही विषय पर कोई भी कानून बनाने की क्षमता, भले ही विषय सूची II या सूची III में आता हो। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि 1996 का अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, इसलिए राज्य विधानमंडल के पास ऐसा कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी जो सूची II या सूची III में आने वाले विषयों के संबंध में भी इसके प्रतिकूल हो। मगनभाई ईश्वरभाई पटेल (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का फिर से संदर्भ दिया गया है। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील मंत्री टेकज़ोन प्राइवेट लिमिटेड बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी निर्भर करता है। फॉरवर्ड फाउंडेशन और

अन्य ", बिहार राज्य और अन्य बनाम। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड अदर्स और जयंत वर्मा और अदर्स बनाम। भारत संघ और अन्य 1 8. 33. श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि राज्य अधिनियम भी भेदभावपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार को एक अधिकार दिया गया है।

पूर्ण विवेकाधिकार के साथ यह किस फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देगा

विश्वनाथ शास्त्री और एक अन्य "और बी. बी. राजवंशी बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य 20 34. श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि राज्य अधिनियम "शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत में हस्तक्षेप करता है और राज्य सरकार पर अतिक्रमण करता है।

न्यायपालिका की शक्तियाँ, जैसे कि राज्य अधिनियम राज्य को पुरस्कारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बी. बी. राजवंशी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं है।

35. श्री वेणुगोपाल यह मानते हुए आगे प्रस्तुत करेंगे, लेकिन यह स्वीकार किए बिना कि राज्य अधिनियम मनमाना नहीं था जब यह मूल रूप से था।

पारित हो गया, लेकिन समय के साथ, यह मनमाना और अनुचित हो गया है।

6 (2019) 18 एस. सी. सी. 494

17 (1996) 9 एससीसी 136

18 (2018) 4 एस. सी. सी. 743 19 [1955] 1 एससीआर 448

20 (1988) 2 एससीसी 415 [2022] 3 एस. सी. आर.

उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम के अधिनियमन से बहुत पहले, न केवल पुरस्कार अंतिम हो गए हैं, बल्कि दी गई राशि का भुगतान दावेदारों को पहले ही कर दिया गया है। इस प्रकार, यदि राज्य अधिनियम को अब संचालित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह मनमानेपन और अनुचितता के बराबर होगा। वह.

जब उन्हें न्यायालय की डिक्री बनाया जाता है तो वे लागू किए जा सकते हैं। इस संबंध में, वह सतीश कुमार और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। सुरिंदर कुमार और अन्य 2 1 37. श्री सेन ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में पुरस्कारों पर कार्रवाई की गई है और भुगतान किया गया है। इसलिए, निहित

उत्तरदाताओं के पक्ष में अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निहित अधिकारों को राज्य अधिनियम द्वारा नहीं खोया जा सकता है। इस संबंध में रिलायंस को आंध्र प्रदेश डेयरी विकास निगम संघ बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। बी. नरसिम्हा रेड्डी और अन्य 2 2.

38. श्री सेन ने आगे कहा कि अनुबंध में एकतरफा परिवर्तन न्याय के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य अधिनियम द्वारा जो करने की मांग की गई है, वह एकतरफा रूप से अनुबंध को जोड़ना या उसमें परिवर्तन करना और इसे अनिच्छुक पक्षों पर थोपना है। यह है।

प्रस्तुत किया कि इसकी अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में भरोसा सांगयोंग के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 2 3.

39. श्री सेन ने आगे कहा कि विवादित कानून

न्यायिक शक्ति और न्यायिक कार्यों का अतिक्रमण और बदले में, भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। इस संबंध में रिलायंस को एस. आर. ई. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। टफ ड्रिलिंग

प्राइवेट लिमिटेड 24. उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय का निर्णय

21 [1969] 2 एससीआर 244 22 (2011) 9 एस. सी. सी. 286

23 (2019) 15 एससीसी 131

24 (2018) 11 एस. सी. सी. 470-सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

जीसी के मामले में। कानूनगो (ऊपर), अपीलार्थियों के मामले का समर्थन करने के बजाय, उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन करेगा। 40. श्री सेन, एस. जगन्नाथ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, प्रस्तुत करेंगे कि 1996 का अधिनियम संदर्भित है -

भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 और इस प्रकार, राज्य अधिनियम जो इसके प्रतिकूल है, कानून में मान्य नहीं होगा। 41. कुछ प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. एन. श्रीकुमार ने कहा कि राज्य अधिनियम को स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर अमान्य घोषित किया जा सकता है। यह है।

प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम अधिनियमित किया गया है, जो पूर्वाग्रह के लिए कार्य करता है

निजी दलों का और निस्संदेह राज्य सरकार का पक्ष लेता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2ए) 23 अक्टूबर 2015 को प्रभावी हुई, यानी राज्य अधिनियम के अधिनियमन के बहुत बाद। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि राज्य अधिनियम वैध रूप से अधिनियमित किया गया था, हालांकि 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2ए) के 23 तारीख को लागू होने पर अक्टूबर 2015 में राज्य अधिनियम को अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में निर्भरता को सेवरभाई अमैदास बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर रखा गया है। बॉम्बे राज्य 25 और टी. बरई बनाम। हेनरी आह हो और एक और 26।

42. श्रीमती. कुछ प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील पद्मनाभन ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रपति की सहमति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत भारत निष्क्रिय औपचारिकता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य यह संतुष्ट नहीं करता कि प्रासंगिक सामग्री भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई थी और उन्हें उन आधारों के बारे में अवगत कराया गया था जिनके आधार पर राष्ट्रपति की सहमति मांगी गई थी, तब तक राष्ट्रपति की सहमति राज्य अधिनियम को अमान्य होने से नहीं बचा पाएगी। इस संबंध में, वह ग्राम जमालपुर बनाम ग्राम पंचायत के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। मालविंदर सिंह और

अन्य 2 7

43. श्रीमती. पद्मनाभन ने कहा कि राज्य अधिनियम भी मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उसने प्रस्तुत किया

कि राज्य अधिनियम उन मामलों के बीच अंतर करने में विफल रहकर असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करता है जहां धोखाधड़ी होती है और जहां धोखाधड़ी नहीं होती है। इस संबंध में, वह महाराष्ट्र राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। श्रीमती कमल सुकुमार दुर्गुले और अन्य 28. 25 [1955] 1 एससीआर 799

26 (1983) 1 एससीसी 177

27 (1985) 3 एस. सी. सी. 661

44. अशोक कुमार उर्फ गोलू बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए। भारत संघ और अन्य ", एस. एस. बोला और

अन्य वी। बी. डी. सरदाना और अन्य 30 और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और अन्य 3 1, श्रीमती. पद्मनाभन ने कहा कि विधायिका के पास ऐसा कानून बनाने की क्षमता नहीं है जो अदालत द्वारा पारित निर्णय या पुरस्कार को दरकिनार कर दे।

45. कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जॉन मैथ्यू ने कहा कि राज्य अधिनियम भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। उन्होंने कहा कि 343 मामलों में से राज्य ने केवल 55 दावों/मामलों के संबंध में अपील दायर करने का विकल्प चुना है। वह भी।

प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम ने राज्य अधिनियम के लागू होने से लगभग एक दशक पहले राज्य के साथ निष्पादित अनुबंधों में अधिकारों और उपचारों को बदलने की मांग की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कुछ दावेदारों को समान व्यवहार से वंचित किया जा रहा है जैसा कि 1996 के अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने वाले समान रूप से स्थित दावेदारों की बड़ी संख्या के लिए उपलब्ध है।

46. श्री मैथ्यू ने प्रस्तुत किया कि यदि विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के संबंध में संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन में राज्य विधानमंडल द्वारा, जो राज्य को भारत के संविधान के भाग-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनने या कम करने वाला कोई भी कानून बनाने से रोकता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग कानून में अमान्य होगा। इस संबंध में, वह केरल राज्य और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और अन्य 3 2। 47. श्री मैथ्यू ने आगे कहा कि राज्य अधिनियम न केवल 1996 के अधिनियम के साथ टकराव में है, बल्कि वाणिज्यिक अधिनियम के साथ भी टकराव में है।

न्यायालय अधिनियम, 2015 (इसके बाद "2015 अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामलों में शामिल सभी विवाद वाणिज्यिक हैं

2015 अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित विवाद। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2015 का अधिनियम एक बाद का केंद्रीय अधिनियम है और इसलिए, राज्य अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक पूर्व अधिनियम है और केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल, मौजूद नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2015 के अधिनियम का अधिनियमन राज्य अधिनियम को तुरंत निरस्त करने के बराबर होगा। इस संबंध में टी. बरई (ऊपर) और मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और अन्य (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

29 (1991) 3 एससीसी 498 30 (1997) 8 एस. सी. सी. 522

31 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 463

32 (2012) 7 एस. सी. सी. 106-सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

48. श्री मैथ्यू ने आगे कहा कि केवल जब कार्यवाही राज्य के खिलाफ जाती है, तो उन्होंने अवैध रूप से राज्य अधिनियम लागू किया ताकि या तो भुगतान से इनकार करें या उत्तरदाताओं को सामना करने के लिए मजबूर करके या उसी के लिए पूरी तरह से अलग उपाय से गुजरने के लिए उन्हें विलंबित करें।

कार्रवाई का कारण। इस संबंध में, वह तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है। के. श्याम सुंदर

और अन्य 3 और दीप चंद और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 3 4 49. कुछ उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री कुरियाकोस वर्गीज ने कहा कि गंजा होने के अलावा

यह आरोप कि ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत थी, कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम जो पर्याप्त सामग्री के अभाव में अधिनियमित किया गया है, कानून में टिकाऊ नहीं होगा। इस संबंध में रिलायंस को लाडली कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। पंजाब पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन। लिमिटेड और अन्य 3 5.

50. श्री वर्गीज ने कहा कि हालांकि राज्य अधिनियम कथित रूप से जनहित में अधिनियमित किया गया है, न कि यह जनहित में है, लेकिन यह है जनहित के विपरीत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में यह न्यायालय

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 3 6 ने माना है कि तर्कसंगतता, पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत और सार्वजनिक हित को साथ-साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अधिनियम मनमाने और चयनात्मक तरीके से विवादों के त्वरित समाधान के सिद्धांत का अपमान करता है और इसलिए, सार्वजनिक हित के विपरीत होना मान्य नहीं है।

51. कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रॉय अब्राहम ने भी ऐसी दलीलें दीं जो समान हैं।

उत्तरदाताओं के लिए अन्य वकीलों द्वारा बनाई गई पंक्तियाँ।

अपीलार्थियों के स्वयं के बारे में सुझाव

अग्रणीः

52. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता ने जवाब में कहा कि केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर प्रतिवादियों द्वारा रखी गई निर्भरता गलत है।

33 (2011) 8 एससीसी 737

34 [1959] पूरक (2) एस. सी. आर. 8 35 (2012) 4 एस. सी. सी. 609

36 (2020) 17 एससीसी 324 [2022] 3 एस. सी. आर.

क्योंकि जिन अनुच्छेदों पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया जाता है, वे अल्पमत निर्णय से हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, बहुमत का निर्णय राज्य विधान की वैधता को बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि जहां तक एस. जगन्नाथ (उपरोक्त) और मंत्री टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर प्रत्यर्थियों द्वारा दी गई निर्भरता का संबंध है, वही कहीं भी यह नहीं माना गया है कि राज्य विधानमंडल को संधि और/या संसदीय कानून के दायरे से परे, इस क्षेत्र से पूरी तरह से वंचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल इसलिए कि उक्त परियोजना को आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य अधिनियम, सार और सार में, विदेशी ऋणों के क्षेत्र में एक कानून है और इसलिए यह राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है।

न्यायिक समीक्षा का विषय। इस संबंध में रिलायंस को के. नागराज और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 3 7। 54. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि सी. पी. सी. की धारा 9 नागरिक प्रकृति के विवादों पर निर्णय लेने के लिए दीवानी अदालतों के पूर्ण अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करती है जब तक कि कानून द्वारा बाहर नहीं किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक पक्ष हैं

एक मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित, दीवानी अदालतों को, हालांकि पक्षों के बीच अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में दीवानी मुकदमों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, 1996 के अधिनियम की धारा 8 और 11 और 1940 के अधिनियम की धारा 20 और 34 के तहत विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता है। हालांकि, एक बार जब मध्यस्थता समझौता कायम हो जाता है

रद्द किए जाने पर, सभी बंधन हटा दिए जाएंगे और दीवानी अदालतों के पास विवादों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस मंच पर अपील की जाएगी, उसके संबंध में जो तर्क दिया जा रहा है, वह सारहीन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य अधिनियम की धारा 6 के आधार पर, सी. पी. सी. सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है और अदालत में एक अपील होगी, जो उस अदालत के आधार पर होगी जो निर्णय या पुरस्कार दे रही है और/या पुरस्कार पर डिक्री पारित कर रही है। इस प्रकार, अस्पष्टता के बारे में तर्क सारहीन है। 55. जहाँ तक उन मामलों को चुनने और चुनने का अधिकार रखने के संबंध में तर्क का संबंध है जिनमें अपील दायर की जानी है, श्री

37 (1985) 1 एस. सी. सी. 523-सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक वादी के पास निचली अदालत के फैसले और आदेश को स्वीकार करने या उसे चुनौती देने का विकल्प है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा मामला नहीं है जहां विभिन्न पक्षों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए राज्य के लिए वैकल्पिक कार्यवाही उपलब्ध है, जिनमें से कुछ अन्य की तुलना में अधिक कठिन हैं। इस संबंध में, वह नागपुर सुधार न्यास और अन्य v के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है। विट्ठल राव और अन्य 3 8 और केरल राज्य और अन्य बनाम। टी. एम.

पीटर और अन्य "। उन्होंने आगे कहा कि राज्य अधिनियम की धारा 5 स्वयं उन मामलों के संबंध में पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करती है जिनमें राज्य को अपील दायर करने का अधिकार होगा। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य को अपील दायर करने की शक्ति दिशाहीन है।

56. श्री गुप्ता ने यह तर्क देते हुए निष्कर्ष निकाला कि राज्य अधिनियम राज्य की न्यायिक शक्ति में हस्तक्षेप करता है।

कोई भी पदार्थ। राज्य अधिनियम केवल उस डिक्री के खिलाफ अपील का प्रावधान करता है जिसका परीक्षण अपील में किया जाएगा और अंतिम शब्द अभी भी न्यायपालिका के पास है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं की ओर से उठाई गई सभी दलीलें आधारहीन हैं।

ध्यानः

•

राज्य की विधायी प्रतियोगिता

राज्य कानून लागू करने के लिए कानूनः

57. हम सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या राज्य अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है या क्या यह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिया गया है। इसके लिए, जिस प्रश्न का उत्तर देना होगा वह यह है कि क्या विवादित विधान (राज्य अधिनियम) का स्रोत भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 है या क्या विवादित विधान (राज्य अधिनियम) प्रविष्टि 12,13,14 और 37 के लिए संदर्भित है।

सातवीं अनुसूची की सूची I और भारत के संविधान का अनुच्छेद 253। हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के दायरे की भी जांच करनी होगी।

58. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियाँ 12,13,14 और 37 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगाः 38 (1973) 1 एससीसी 500

39 (1980) 3 एससीसी 554 [2022] 3 एस. सी. आर.

" सातवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 246)

सूची I-संघ सूची

12. संयुक्त राष्ट्र संगठन।

13. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और अन्य निकायों में भागीदारी और उन पर किए गए निर्णयों को लागू करना।

14. विदेशों के साथ संधियों और समझौतों में प्रवेश करना और विदेशों के साथ संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करना। 37. विदेशी ऋण।

99

59. भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 का उल्लेख करना भी उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

" सातवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 246)

सूची III-समवर्ती सूची

" 253.अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने के लिए कानून समझौते। - इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या संधि या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है। सरकार का सचिव।

61. हाथ में प्रश्न पर विचार करने के लिए, इस न्यायालय के उदाहरणों से मार्गदर्शन लेना उचित होगा। यह संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा

जी. सी. के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां। कानूनगो (ऊपर):

" 10. ..... मध्यस्थता का विषय सूची III की प्रविष्टि 13, अर्थात संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में पाया जाता है, जिस पर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जब पहले से ही कानून है
इस विषय पर बनाई गई संसद, भारत के सभी राज्यों के संबंध में काम करती है, यदि अपवाद नहीं है। चूँकि यह किसी राज्य विधानमंडल के लिए भी मध्यस्थता के उसी विषय पर कानून बनाने के लिए खुला है, इसमें यह समवर्ती सूची में किसी प्रविष्टि में आने वाले कानून के अपने क्षेत्र के भीतर आता है और जब किसी विशेष राज्य विधानमंडल ने उसे अपने राज्य में लागू करने के लिए उस विषय पर कोई कानून या अधिनियम बनाया है, तो ऐसे कानून को मान्य करने के लिए केवल निम्न की सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है -

राष्ट्रपति ने इसे अपने विचार के लिए सुरक्षित रखा। जब ऐसी स्वीकृति प्राप्त की जाती है, तो इस प्रकार अधिनियमित राज्य कानून या अधिनियम के प्रावधान संबंधित राज्य में प्रचलित होते हैं, इसके बावजूद कि इस पर किए गए पहले के संसदीय अधिनियम के प्रतिकूलता के बावजूद

संसद के प्रधान अधिनियम के विपरीत उसमें निहित कुछ भी, इसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है जैसा कि उड़ीसा राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक प्रावधानों के बिना किया गया है। विधायी क्षमता "।

62. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने कहा है कि मध्यस्थता का विषय सूची III की प्रविष्टि 13, यानी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में स्थान पाता है। यह हो चुका है

अभिनिर्धारित किया कि उक्त प्रविष्टि से संबंधित विधान या तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि मध्यस्थता का विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य इसके संबंध में कानून भी बना सकता है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि इस तरह के कानून को मान्य करने के लिए, इसे विचार [2022] 3 एस. सी. आर. के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है।

भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी और उनकी सहमति प्राप्त करना। जब ऐसी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो संबंधित राज्य में इस प्रकार अधिनियमित राज्य कानून या अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे, भले ही इस विषय पर पहले किए गए संसदीय अधिनियम के साथ इसकी प्रतिकूलता हो। यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान मामले में भी, राज्य अधिनियम भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित था और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकार, इस प्रकार अधिनियमित राज्य अधिनियम केरल राज्य में लागू होगा।

63. यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि एम. पी. ग्रामीण 2012 के मामले में, एम. पी. मध्यम अधिकारन अधिनियम, 1983 (राज्य अधिनियम) ने राज्य में अनिवार्य वैधानिक मध्यस्थता के लिए प्रावधान किया है। एम. पी. राज्य में कार्य अनुबंधों या इसके उपकरणों के संबंध में मध्यस्थता समझौते की परवाह किए बिना। दावेदारों की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई कि राज्य अधिनियम 1996 के अधिनियम के प्रतिकूल था और 1996 की धारा 85 को देखते हुए।

एम. पी. अधिनियम, 1983 को अप्रत्यक्ष रूप से निरस्त कर दिया गया। पीठ में दोनों विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद था। पीठ में ए. के. गांगुली, जे. ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 38. तिरस्कार का तर्क भी मान्य नहीं है। संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 13

इस प्रकार चलता हैः

" 13. इस संविधान के प्रारंभ में सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामलों सहित सिविल प्रक्रिया, सीमा और मध्यस्थता "।

उपरोक्त प्रविष्टि को देखते हुए, राज्य सरकार सक्षम है

मध्यस्थता के संबंध में कानून बनाना।

39. 1983 का एम. पी. अधिनियम तब बनाया गया था जब 1940 का पिछला मध्यस्थता अधिनियम लागू था। 1940 का वह अधिनियम एक केंद्रीय कानून था। दोनों अधिनियम 1940 के अधिनियम की धारा 46 को ध्यान में रखते हुए संचालित किए गए। एम. पी. अधिनियम, 1983 राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित था और स्वीकार किया जाता है कि इसे 17-10-1983 पर प्राप्त किया गया था जो मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 12-10-1983 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 254 (2) की आवश्यकता को पूरा किया गया। इस प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य में 1983 का एम. पी. अधिनियम प्रचलित है। इसके बाद, संसद द्वारा 1940 के मध्यस्थता के पहले के कानूनों को निरस्त करते हुए एसी अधिनियम, 1996 लागू किया गया था। यह भी ध्यान दिया गया है कि एसी अधिनियम, 1996 सरकार के सचिव को बचाता है।

एम. पी. अधिनियम, 1983 की धारा 2 (4) और 2 (5) के तहत प्रावधान। इसलिए, कोई तिरस्कार नहीं हो सकता है। (देखें कि

टी. बरई बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। हेनरी आह हो [(1983) 1

एससीसी 177: 1983 एससीसी (सीआरआई) 143: ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 150]।

40. इस संबंध में एम. करुणानिधि बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां। भारत संघ [(1979) 3 एस. सी. सी. 431 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 691] बहुत प्रासंगिक हैं और निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया गया हैः (एस. सी. सी पी. 450, पैरा 37)

" 37. ..... इसलिए, यह स्पष्ट है कि विधायिका के इस स्पष्ट इरादे को देखते हुए किसी भी तर्क के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है कि

राज्य अधिनियम किसी भी तरह से केंद्रीय अधिनियमों के प्रतिकूल था। हम संघीय न्यायालय और इस न्यायालय के फैसलों से पहले ही बता चुके हैं कि यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है

इस बारे में कि क्या असंगतता है या नहीं, इस तथ्य के संबंध में विधायिका के इरादे का पता लगाना है कि प्रमुख विधायिका ने अधीनस्थ विधायिका को राज्य अधिनियम के समान क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी थी।

41. उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि तत्काल मामले में संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम यानी ए. सी. अधिनियम, 1996 ने स्पष्ट रूप से इस आशय का इरादा दिखाया कि मध्यस्थता का राज्य कानून यानी एम. पी. अधिनियम मध्य राज्य में संचालित होना चाहिए।

कुछ निर्दिष्ट प्रकार के मध्यस्थताओं के संबंध में प्रदेश जो एम. पी. अधिनियम, 1983 के तहत हैं। यह धारा 2 (4) से स्पष्ट है।

और एसी अधिनियम, 1996 की धारा 2 (5)। इसलिए, इसमें कोई पदार्थ नहीं है

तिरस्कार का तर्क और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

64. चूंकि ज्ञान सुधा मिश्रा, जे. ने उक्त मामले में ए. के. गांगुली, जे. से असहमति जताई थी, इसलिए मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

65. एम. पी. रूरल 2018 के मामले में तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने गांगुली, जे.

66. यह देखा जा सकता है कि जी. सी. के मामले में यह न्यायालय। कानूनगो (ऊपर) के साथ-साथ एमपी ग्रामीण 2018 के मामले में, यह माना गया है कि

1940 अधिनियम, 1996 अधिनियम के अधिनियमन का स्रोत और उड़ीसा और मध्य प्रदेश विधानमंडलों द्वारा विधिबद्ध राज्य अधिनियम भी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 है। आम तौर पर, यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (1) को देखते हुए केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच कोई टकराव होता है, तो केंद्रीय कानून प्रबल होगा। हालाँकि, संविधान [2022] 3 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 254 के खंड (2) को देखते हुए।

अर्थात्, राज्य का कानून तब प्रभावी होगा जब इसे विचार के लिए आरक्षित किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है।

67. हाल ही में इस अदालत ने जी. मोहन राव और अन्य के मामले में

तमिलनाडु और अन्य 40 ने इस प्रकार देखा हैः

" 47. अनुच्छेद 254 (2) को तैयार संदर्भ के लिए फिर से प्रस्तुत किया गया हैः

" 254. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगति और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून। —

(2) जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून हो। में उल्लिखित मामलों में से एक के संबंध में

समवर्ती सूची में कोई भी प्रावधान है जो इसके प्रतिकूल है

संसद द्वारा बनाई गई पूर्ववर्ती विधि के प्रावधान या उस मामले के संबंध में एक मौजूदा कानून, तो, कानून

ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाया गया है, यदि वह

राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और

उसकी सहमति प्राप्त की, उस राज्य में प्रबलः "

(जोर दिया गया)

48. अनुच्छेद 254 (2) को लागू करने के लिए बुनियादी सामग्री इस प्रकार ध्यान देंः

(i) राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून (2019 में अधिनियम)

यह मामला);

((iv) राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित है। और वही प्राप्त किया है।

49. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर, ऐसा राज्य कानून

द्वारा बनाया गया कानून होने के बावजूद राज्य में प्रबल

वहाँ तक। अनुच्छेद 254 (2) की सबसे विशिष्ट विशेषता है - द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता के अस्तित्व की मान्यता

संसद और राज्य कानून और उस प्रतिकूलता को प्रस्तुत करना

1 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 440 वे सरकार के सचिव होंगे। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर अप्रासंगिक। इसमें इस मामले में, राज्य विधानमंडल ने संसद (2013 अधिनियम) द्वारा बनाए गए कानून की उपस्थिति में समवर्ती सूची के एक विषय पर 2019 अधिनियम (राज्य कानून) को विधिवत पारित किया और राष्ट्रपति के समक्ष राज्य के कानून को विधिवत रखने और आरक्षित करने का कारण विधिवत बताने के बाद 02.12.2019 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की।

उसकी सहमति के लिए। एक प्राथमिकता के रूप में, हम मानते हैं कि यह अनुच्छेद 254 (2) के अनुपालन में है।

50. अनुच्छेद 254 (2) की यह समझ अच्छी तरह से स्थापित है और पं. ऋषिकेश 40

" 15. अनुच्छेद 254 का खंड (2) खंड का अपवाद है। (1) . यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून इसके लिए आरक्षित है

राष्ट्रपति का विचार और स्वीकृति प्राप्त करना

हालांकि राज्य का कानून केंद्रीय अधिनियम के साथ असंगत है, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून प्रचलित है

केंद्रीय कानून के अधीन और उस राज्य में वैध के रूप में कार्य करता है

कानून। यदि संसद कानून में संशोधन करती है, तो संशोधन के बाद

राज्य विधानमंडल को मंजूरी मिल गई है

राष्ट्रपति, राज्य द्वारा किया गया पूर्व संशोधन विधानमंडल, यदि केंद्रीय संशोधन के साथ असंगत पाया जाता है

केंद्रीय कानून और राज्य कानून दोनों इसके बिना सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं।

एक-दूसरे से टकराते हुए। इस प्रकार घृणा उत्पन्न होती है और

राज्य के कानून के प्रतिकूल होने की सीमा के तहत शून्य हो जाता है

अनुच्छेद 254 (1) जब तक राज्य विधानमंडल फिर से कानून नहीं बनाता है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित और प्राप्त करता है

राष्ट्रपति की सहमति। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा

कि 1976 के यू. पी. अधिनियम 57 के बाद से राष्ट्रपति ने 30-12-1976 पर, जबकि केंद्रीय अधिनियम को मंजूरी दी गई थी

9-9-1976 पर, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया यू. पी. अधिनियम, बाद में

समय के साथ यह एक वैध कानून है।

(जोर दिया गया)

51. याचिकाकर्ताओं ने लंबी दलीलें दी हैं कि कैसे 2019 का अधिनियम 2013 के अधिनियम के प्रतिकूल है। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि किसी भी तिरस्कार की ओर इशारा करने का पूरा अभ्यास एक मान्यकारी अधिनियम के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अन्य बात है। क्योंकि, अनुच्छेद 254 (2) का पूरा उद्देश्य [2022] 3 एस. सी. आर. को पुनर्जीवित करना है।

और ऐसे अधिनियम में एक प्रतिकूल अधिनियम या प्रतिकूल प्रावधानों को लागू करना। क्योंकि, संविधान राज्यों के साथ-साथ सूची-III में आने वाले विषयों पर समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 254 (2) की आवश्यकताओं का विधिवत पालन करने के बाद, न्यायालय के पास कानूनों के बीच प्रतिकूलता की पहचान करके हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि अनुच्छेद 254 (2) के तहत संविधान की मंजूरी के अनुसार इसे पहले ही पहचाना, स्वीकार और मान्य किया जा चुका है। इस तरह के अभ्यास में शामिल होना सहज ज्ञान युक्त होगा। इसके अलावा, न्यायालय को अनुच्छेद 254 (2) के अनुपालन में बनाए गए कानून को केवल तिरस्कार के आधार पर रद्द नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे मामलों में तिरस्कार को संवैधानिक बना दिया गया है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, बहुत

अनुच्छेद 254 के खंड (2) के संदर्भ में अभ्यास में शामिल होने का उद्देश्य तिरस्कार के अस्तित्व का अनुमान लगाता है और इस तरह की तिरस्कार को दूर करने का इरादा है। इसलिए, प्रयास

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने तिरस्कार को उजागर करने के लिए, है

गलत दिशा में, कमजोर और अप्रासंगिक "।

68. इस प्रकार, एक बार जब राज्य अधिनियम विचार के लिए आरक्षित हो जाता है और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो यह प्रबल होगा। एक बार जब यह स्थिति बन जाती है, तो दोनों के बीच किसी भी तरह की घृणा का पता लगाने का कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम के बीच कोई विरोधाभास नहीं है और सामंजस्य के सिद्धांत को लागू करना, दोनों मौजूद हो सकते हैं। हम पाते हैं कि राज्य अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के कारण उक्त मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

69. इसके बाद उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि राज्य अधिनियम अनिवार्य रूप से संघ की विधायी क्षमता के भीतर है।

उत्तरदाताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य का कानून इसके संबंध में है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 12,13,14 और 37 के लिए और विशेष रूप से केंद्रीय विधान की क्षमता के भीतर। प्रविष्टि 12 संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित है। प्रविष्टि 13 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और अन्य निकायों में भागीदारी और उन पर किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित है। प्रविष्टि 14 विदेशों के साथ संधियों और समझौतों में प्रवेश करने और विदेशों के साथ संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने से संबंधित है। प्रविष्टि 37 विदेशी ऋणों से संबंधित है।

70. केसरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सरकार के सचिव अन्य के मामले में संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा।

केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग V. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

ए)। उक्त मामले में, आर. सी. लाहोटी, जे. ने बहुमत की ओर से बोलते हुए इस प्रकार कहा हैः

" 31. संविधान का अनुच्छेद 245 इसका स्रोत है - विधायी शक्ति। यह प्रदान करता है-इसके प्रावधानों के अधीन

सातवीं अनुसूची में सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना, जिसे "संघ सूची" कहा जाता है। संसद की उक्त शक्ति के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास है - सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। उपर्युक्त दो के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सूची दो में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जिसे "राज्य सूची" कहा जाता है। अनुच्छेद 248 के तहत कानून बनाने की संसद की अनन्य शक्ति किसी भी ऐसे मामले पर फैली हुई है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है। किसी को भी बनाने की शक्ति

समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित कर लागू करने वाला कानून संसद में निहित है। इसी को अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है।

संसद में निहित। सिद्धांत संक्षिप्त रूप से हैं

तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा संक्षेपित और पुनर्निर्धारित

होचस्ट में उपलब्ध निर्णय की समीक्षा पर यह न्यायालय फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य [(1983) 4 एससीसी 45: 1983

एस. सी. सी. (कर) 248] वे इस प्रकार हैंः

(1) तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियाँ विधान की "शक्तियाँ" नहीं हैं, बल्कि विधान के "क्षेत्र" हैं। संविधान संघ की कर लगाने की शक्ति को पूरी तरह से अलग करता है और अनुच्छेद 246 के अधीन राज्य। कोई ओवरलैपिंग नहीं है

कर लगाने की शक्ति और संविधान में कहीं भी संघ और राज्यों को कर के स्वतंत्र स्रोत दिए गए हैं।

(2) विधान के क्षेत्रों का सीमांकन किए जाने के बावजूद, संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता का सवाल केवल निम्नलिखित में उत्पन्न हो सकता है -

ऐसे मामले जब दोनों विधान समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों में से किसी एक के संबंध में एक ही क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और एक सीधा संघर्ष देखा जाता है। यदि कोई प्रतिकूलता देय है [2022] 3 एस. सी. आर.

एक ओर सूची II और दूसरी ओर सूची I और सूची III के बीच पाए जाने वाले अतिव्यापी होने पर, राज्य का कानून अधिकार से बाहर होगा और उसे संघ के कानून को रास्ता देना होगा।

(3) विधायी क्षमता के उद्देश्यों के लिए कराधान को एक अलग मामला माना जाता है। एक अंतर है

कानून और कराधान के सामान्य विषयों के बीच बनाया गया। विधान के सामान्य विषयों को एक अलग समूह में प्रविष्टियों और कराधान की शक्ति के एक समूह में निपटाया जाता है। कर लगाने की शक्ति का अनुमान सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं लगाया जा सकता है।

एक सहायक शक्ति के रूप में।

(4) सूचियों में प्रविष्टियाँ केवल विषय या कानून के क्षेत्र होने के कारण, उन्हें एक व्यापक और उदार भावना से प्रेरित एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए न कि एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में। प्रविष्टियों का मसौदा तैयार करने में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ

सबसे व्यापक-संभव व्याख्या दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि, वी. रामास्वामी, जे. को उद्धृत करने के लिए, सूचियों में विषयों का आवंटन वैज्ञानिक या तार्किक परिभाषा के रूप में नहीं है, बल्कि केवल व्यापक रूप से एक सरल गणना के रूप में है। श्रेणियाँ। प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लिखित प्रमुख मामले के बारे में कानून बनाने की शक्ति में इसके विस्तार के भीतर आकस्मिक और प्रासंगिक कानूनों को भी शामिल किया जाएगा।

सहायक मामले।

(5) जहां किसी भी राज्य के विधानमंडल की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है, तो यह सवाल पूछना पड़ता है कि क्या यह कानून सूची I या III की किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है। यदि ऐसा होता है, तो आगे कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है और संसद की विधायी क्षमता होनी चाहिए बरक़रार रखा। जहाँ तीन सूचियाँ हैं जिनमें बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ हैं, वहाँ उनके बीच कुछ अतिव्यापी होना तय है।

ऐसी स्थिति में पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि किसी दिए गए कानून का हिस्सा किस प्रविष्टि से संबंधित है। एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधानमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं होता है। अदालत को इसके सार को देखना होगा

बात है। पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को कभी-कभी कानून के सही चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। विधायिका द्वारा कानून को दिया गया नाम सरकार का सचिव है।

महत्वहीन है। समग्र रूप से अधिनियम का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव के लिए।

आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की उपेक्षा की जानी चाहिए। (6) अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब एक

एक क्षेत्र के भीतर संघ और राज्य सूचियों के बीच टकराव

दोनों के लिए सामान्य। वहाँ पीठ और पदार्थ का सिद्धांत है लागू किया जाए और यदि विवादित कानून काफी हद तक गिर जाता है

इसे अधिनियमित किया, सौंपे गए क्षेत्र में एक आकस्मिक अतिक्रमण एक अन्य विधानमंडल को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इन तीनों को पढ़ते हुए

सूचियाँ, सूची I की प्राथमिकता सूची III और II पर है और सूची III की प्राथमिकता है

सूची II पर प्राथमिकता। हालांकि, अभी भी, की प्रधानता

संघ सूची राज्य विधानमंडल को इससे नहीं रोकेगी

सूची II के भीतर किसी भी मामले से निपटने के लिए हालांकि यह हो सकता है

संयोग से सूची I में किसी भी वस्तु को प्रभावित करता है।

(जोर दिया गया)

71. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि

जब किसी राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है, क्योंकि कुछ प्रविष्टियां अतिव्यापी होना तय है, तो ऐसी स्थिति में, यह निर्धारित करने के लिए आधार और सार के सिद्धांत को लागू करना होगा कि किसी दिए गए विधान का हिस्सा किस प्रविष्टि से संबंधित है। एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं होता है। अदालत को पदार्थ को देखना होगा

मामले से। कानून के सही स्वरूप का पता लगाया जाना चाहिए। समग्र रूप से अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह माना गया है कि आकस्मिक

और सतही अतिक्रमणों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संघ सूची की प्रधानता राज्य विधानमंडल को सूची II के भीतर किसी भी मामले से निपटने से नहीं रोकेगी, हालांकि यह संयोग से सूची I में किसी भी मद को प्रभावित कर सकती है।

72. यदि हम राज्य अधिनियम की योजना को देखें, तो विषय

अधिनियमन का विषय मध्यस्थता है। जैसा कि केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, यदि राज्य इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, तो सूची I में किसी भी वस्तु पर कोई आकस्मिक अतिक्रमण राज्य विधानमंडल को प्रभावित नहीं करेगा। किसी भी मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, यह न्यायालय, [2022] 3 एस. सी. आर. के मामलों में।

जी. सी. कानूनगो (ऊपर) और मध्य प्रदेश ग्रामीण 2018 ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि 1940 का अधिनियम, 1996 का अधिनियम और उड़ीसा और एम. पी. विधानमंडलों द्वारा विधिबद्ध राज्य अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 के लिए संदर्भित हैं। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति को देखते हुए, राज्य विधानमंडल प्रबल होगा। 73. श्री वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने केसोरम इंडस्ट्रीज के मामले में अनुच्छेद 234,238,239 और 293 पर दृढ़ता से भरोसा किया है

लिमिटेड और अन्य (ऊपर), इस प्रस्ताव के समर्थन में कि राज्य अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर नहीं है, जो इस प्रकार हैः

" 234. संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य के बीच सत्ता साझा करने के उपकरणों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाया

राज्य की सुरक्षा और स्थिरता की अनिवार्यताओं और इस प्रकार, अनुच्छेद 246 के तहत गैर-बाध्यकारी खंड का उपयोग करके केंद्रीकरण की ओर जोर दिया ताकि यह देखा जा सके कि संघीय सर्वोच्चता प्राप्त की गई है। 238. यह
देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 253 में गैर-बाध्यकारी खंड है। इस प्रकार, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद कार्य करता है। अनुच्छेद 246 शक्ति प्रदान करता है

293. चाय अधिनियम को लागू करने में संसद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के संदर्भ में इस मामले में अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया है। कुछ स्थितियों में इस तरह की श्रेष्ठ शक्ति का प्रयोग प्रविष्टि 33 सूची III के संदर्भ में भी किया जा सकता है और साथ ही प्रबल शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। भारत के
संविधान के अनुच्छेद 249,250,251 और 252 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद की। (आई. टी. सी. लिमिटेड [(2002) 9 एस. सी. सी. 232]) "सरकार का सचिव" देखें।

74. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त पैराग्राफ से हैं

न्यायमूर्ति सिन्हा द्वारा व्यक्त अल्पमत का दृष्टिकोण, संविधान पीठ में बहुमत के फैसले के विपरीत, विद्वान न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया विचार, उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन नहीं करेगा।

असंवैधानिक मॉडल कानून-एक निर्णय या

अनुशंसा? :

75. यह हमें उत्तरदाताओं की ओर से इस तर्क पर विचार करने के लिए छोड़ देता है कि 1996 का अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और चूंकि उक्त अधिनियम UNCITRAL मॉडल कानून को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अधिनियमित किया गया है, इसलिए राज्य विधानमंडल नहीं है।

राज्य विधि अधिनियमित करने के लिए सक्षम।

76. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1996 अधिनियम के बाद से महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अधिनियमित किया गया है

संयुक्त राष्ट्र, यही भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के लिए संदर्भित होगा।

77. इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1996 की प्रस्तावना

अधिनियम से पता चलेगा कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की सिफारिश UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाने के लिए है। 1996 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैराग्राफ (2) और (3) को संदर्भित करना आगे प्रासंगिक होगाः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1. .....

2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सिफारिश की है कि सभी देश एकरूपता की वांछनीयता को देखते हुए उक्त मॉडल कानून पर उचित विचार करें। मध्यस्थता प्रक्रियाओं का कानून और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता अभ्यास की विशिष्ट आवश्यकताएँ। UNCITRAL ने भी अपनाया

1980 में सुलह नियमों का एक समूह। की आम सभा

संयुक्त राष्ट्र ने उन मामलों में इन नियमों के उपयोग की सिफारिश की है जहां अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में विवाद उत्पन्न होते हैं और पक्ष सुलह का सहारा लेकर अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं। [2022] 3 एस. सी. आर. की एक महत्वपूर्ण विशेषता।

उक्त UNCITRAL मॉडल कानून और नियम यह है कि उनके पास है दुनिया की विभिन्न कानूनी प्रणालियों के मध्यस्थता और सुलह पर सामंजस्यपूर्ण अवधारणाएँ और इस प्रकार इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो हैं -

सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया।

3. यद्यपि उक्त UNCITRAL मॉडल कानून और नियम हैं

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से निपटने का इरादा और सुलह, वे, उचित संशोधनों के साथ, घरेलू मध्यस्थता और सुलह पर कानून के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। वर्तमान विधेयक संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है -

घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता,

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रवर्तन और कानून को परिभाषित करना

सुलह से संबंधित, उक्त UNCITRAL मॉडल कानून और नियमों को ध्यान में रखते हुए।

99

78. इसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जनरल

संयुक्त राष्ट्र की सभा ने सिफारिश की है कि सभी देश मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कानून की एकरूपता की वांछनीयता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रथाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए UNCITRAL मॉडल कानून पर उचित विचार करें।

79. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में UNCITRAL को लागू करने के लिए कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं है।

मॉडल कानून। किसी भी मामले में, वह सिफारिश केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रथाओं के संबंध में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद ने कुछ संशोधनों के साथ घरेलू मध्यस्थता पर कानून बनाने के लिए UNCITRAL मॉडल कानून पर उचित विचार किया है। हालाँकि, यह अपने आप में संसद पर UNCITRAL मॉडल कानून के अनुसार कानून बनाने के लिए बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है।

80. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित 11 दिसंबर 1985 के प्रस्ताव का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" 40/72 .

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर आयोग

आम सभा,

मध्यस्थता के मूल्य को निपटान की एक विधि के रूप में पहचानना

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों में उत्पन्न होने वाले विवाद, सरकार के लिए सचिव।

केरल का, इर्रिगेशन पार्टमेंट v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

आश्वस्त किया कि मध्यस्थता पर एक आदर्श कानून की स्थापना

आर्थिक प्रणालियाँ विकास में योगदान करती हैं सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध,

यह ध्यान में रखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पर आदर्श कानून मध्यस्थता को संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अपनाया गया था

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर इसके अठारहवें सत्र में, नियत समय के बाद

मध्यस्थ संस्थानों के साथ विचार-विमर्श और व्यापक परामर्श

आश्वस्त किया कि मॉडल कानून, सम्मेलन के साथ मिलकर विदेशी मध्यस्थ की मान्यता और प्रवर्तन पर

पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता नियम

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर आयोग द्वारा अनुशंसित

महासभा ने 15 दिसंबर 1976 के अपने प्रस्ताव 31/98 में,

एक एकीकृत कानूनी व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है

विवादों के निष्पक्ष और कुशल समाधान के लिए रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों में उत्पन्न होने वाले,

1. महासचिव से पाठ को प्रसारित करने का अनुरोध करता है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आधुनिक कानून

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, अठारहवीं से ट्रैवॉक्स तैयारी के साथ

संस्थान और अन्य इच्छुक निकाय, जैसे कि चैंबर्स ऑफ व्यापार;

2. अनुशंसा की जाती है कि सभी राज्य इस पर उचित विचार करें -

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून, के कानून की एकरूपता की वांछनीयता को देखते हुए

मध्यस्थता प्रक्रियाएँ और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की विशिष्ट आवश्यकताएँ वाणिज्यिक मध्यस्थता अभ्यास "।

[जोर दिया गया]

. उपरोक्त संकल्प के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि

टी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया है

उक्त प्रस्ताव सभी राज्यों को देय राशि देने की सिफारिश करने के लिए है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून।

आर, संकल्प के अवलोकन से ही पता चलेगा कि यह नहीं है

UNCITRAL को लागू करने के लिए राज्यों पर बाध्यकारी दायित्व

जैसे है वैसे ही।

82. श्री वेणुगोपाल ने अपने तर्क के समर्थन में एस. जगन्नाथ ए) के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया हैः

" 48. इस स्तर पर हम एक ऐसे प्रश्न से निपट सकते हैं जो

संयोग से हमारे विचार के लिए आगे आएं। सी. आर. जेड. अधिसूचना के पैरा 2 के तहत, इसके तहत सूचीबद्ध गतिविधियों को निषिद्ध गतिविधियों के रूप में घोषित किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने तटीय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को विनियमित करने के लिए तटीय जलीय कृषि कानून बनाए हैं। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि तमिलनाडु राज्य सहित राज्य विधानों के कुछ प्रावधान अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी सीआरजेड अधिसूचना के अनुरूप नहीं हैं। मान लीजिए

हमारा विचार है कि अधिनियम एक केंद्रीय विधान होने के कारण इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है। अधिनियम (पर्यावरण संरक्षण)

अधिनियम, 1986) भारत के संविधान की सूची I अनुसूची VII की प्रविष्टि 13 के तहत अधिनियमित किया गया है। उक्त प्रविष्टि इस प्रकार हैः

" अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मूल्यांकन और अन्य निकायों में भागीदारी और उन पर किए गए निर्णयों को लागू करना।

अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। संसद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के साथ पठित सूची I अनुसूची VII की प्रविष्टि 13 के तहत अधिनियम लागू किया है। अधिनियम के तहत जारी की गई सी. आर. जेड. अधिसूचना का प्रबल प्रभाव होगा और यह इन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून पर हावी होगी।

राज्यों "।

83. श्री वेणुगोपाल ने मंत्री टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा कियाः

पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान। जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन शामिल है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को सरकार के सचिव के एक हिस्से के रूप में माना गया है।

न्यायपालिका के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार घोषणाएँ। इसलिए, पर्यावरण अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है।

84. इस समय यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की प्रस्तावना (जिसे इसके बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है)

" 1986 अधिनियम) स्वयं यह प्रकट करेगा कि यह जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय को संदर्भित करता है, जिसमें भारत ने भाग लिया था और जिसमें मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि इसे आवश्यक माना गया था

उपरोक्त निर्णयों को लागू करना जहाँ तक वे पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए खतरों की रोकथाम से संबंधित हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (इसके बाद "एनजीटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) भारत को जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय में एक पक्ष के रूप में संदर्भित करता है, जिसमें भारत ने भाग लिया था और राज्यों से मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान करने के लिए निर्णय लिए गए थे। यह जून 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय का भी उल्लेख करता है, जिसमें भारत ने भाग लिया था। राज्यों से निवारण और उपचार सहित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही तक प्रभावी पहुंच प्रदान करने और प्रदूषण और अन्य पर्यावरण क्षति के पीड़ितों के लिए दायित्व और मुआवजे के संबंध में राष्ट्रीय कानून विकसित करने का आह्वान किया गया। यह आगे बताता है कि उपरोक्त सम्मेलनों में लिए गए निर्णय को लागू करना समीचीन माना जाता है।

85. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जबकि 1986 अधिनियम और एन. जी. टी. अधिनियम विशेष रूप से अधिनियम में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, 1996 का अधिनियम 1985 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर अधिनियमित किया गया है, जिसके तहत महासभा ने केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक रूप से UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाने की सिफारिश की है।

मध्यस्थता प्रथाओं का संबंध है। इस प्रकार, 1986 का अधिनियम और एनजीटी अधिनियम सीधे तौर पर सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 13 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के लिए संदर्भित हैं। इसलिए, हमारे विचार में, उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों पर भरोसा करना उत्तरदाताओं के मामले में किसी भी तरह से सहायक नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रस्ताव केवल अनुशंसित प्रकृति का है और उस पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य विधान की संबद्धता चालू

न्यायिक शक्तियाँः

86. इसके बाद हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर विचार करते हैं कि चूंकि राज्य अधिनियम, वास्तव में, मध्यस्थों द्वारा पारित पुरस्कारों और/या अदालतों द्वारा पारित निर्णयों या फरमानों को रद्द कर देता है, इसलिए यह निम्न के बराबर होगाः

न्यायालयों की न्यायिक शक्तियों पर अतिक्रमण और इस तरह, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से प्रभावित होता है।

87. वर्तमान मामलों में शामिल केरल मध्यस्थता मामलों के विवरण वाली सूची के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में

इन मामलों में, पुरस्कार वर्ष 1992 से पहले पारित किए गए थे और पुरस्कारों को वर्ष 1993 से पहले अदालत का नियम बनाया गया था। कुछ मामलों में, राज्य अधिनियम के अधिनियमन की तारीख को, 1940 के अधिनियम की धारा 39 के तहत राज्य द्वारा दायर अपीलें सक्षम अदालतों के समक्ष लंबित थीं।

88. अपीलार्थियों ने जी. सी. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। कानूनगो (ऊपर), जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 15. जो महत्वपूर्ण है और हमारी जाँच की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या ऐसा न्यायालय जब अपने समक्ष दायर विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय देता है, तो अपने निर्णय और डिक्री द्वारा "न्यायालय का नियम", जैसा कि धारा 17 के तहत प्रदान किया गया है।

प्रधान अधिनियम, क्या विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरण का ऐसा अधिनिर्णय निर्णय और डिक्री में विलय हो जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था। हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।

जिस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है, वह यह है कि एक विशेष पुरस्कार मध्यस्थता न्यायाधिकरण, एक मध्यस्थ के निर्णय के रूप में, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, मध्यस्थता विवाद के माध्यम से अपने निर्णय के लिए निर्दिष्ट दावे या कारण पर उसके द्वारा किया गया निर्णय है। जब न्यायालय एक विशेष का ऐसा पुरस्कार देता है

मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने निर्णय के माध्यम से एक "न्यायालय का नियम" और डिक्री, यह दावे या कारण का निर्णय नहीं कर रहा है जैसा कि उसने किया होगा, अगर वह अपने सामान्य सिविल के अभ्यास के दौरान अपने निर्णय और डिक्री के लिए एक मुकदमे के रूप में उसके सामने आया होता

अधिकार क्षेत्र। वास्तव में, जब इस तरह का पुरस्कार अदालत के समक्ष विवाद के लिए एक पक्ष द्वारा "नियम का नियम" बनाए जाने के लिए दिया जाता है।

न्यायालय "अपने निर्णय और डिक्री द्वारा, ऐसे पुरस्कार के लिए न्यायालय की अतिरिक्त मुहर प्राप्त करना है, जैसा कि इसके तहत प्रावधान किया गया है।

प्रधान अधिनियम, इसे सरकार के दूसरे पक्ष सचिव के खिलाफ लागू करने योग्य बनाने के लिए।

केरल का, इर्रिगेशन पार्टमेंट v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

अदालत की मशीनरी के माध्यम से। इसलिए, किसी पुरस्कार के संबंध में दीवानी अदालत द्वारा दिया गया निर्णय और डिक्री केवल उस पर अपनी मुहर लगाने के लिए है ताकि इस तरह के पुरस्कार को उसके पास उपलब्ध तंत्र के माध्यम से लागू किया जा सके।

अपने स्वयं के निर्णयों और फरमानों का प्रवर्तन। केवल यह तथ्य कि न्यायालयों के ऐसे निर्णय या फरमान जिनके द्वारा विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कार "न्यायालय के नियम" बनाए जाते हैं या अपीलों, संशोधनों या इसी तरह के उच्च न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों द्वारा पुष्टि की जाती है, पुरस्कारों को न्यायालयों के निर्णय नहीं बना सकते हैं। इसलिए, जब विशेष पुरस्कार

मध्यस्थता न्यायाधिकरण न्यायालय के निर्णयों और फरमानों द्वारा बनाए जाते हैं, "न्यायालय के नियम" उन्हें अपनी निष्पादन प्रक्रिया के माध्यम से लागू करने के लिए, वे (पुरस्कार) न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों में विलय नहीं करते हैं, जैसा कि उन्हें बनाएगा

न्यायालय के निर्णय। न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों में पुरस्कारों के विलय न होने के बारे में कानूनी स्थिति, जिसे हमने कहा है,

सतीश कुमार बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में कुछ टिप्पणियों से समर्थन प्राप्त होता है। सुरिंदर कुमार [(1969) 2 एससीआर 244 एआईआर 1970 एससी 833]। वहाँ, इस न्यायालय का सामना इस प्रश्न से किया गया कि क्या एक मध्यस्थ द्वारा दिया गया एक निर्णय, जो पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण की कमी के कारण अप्रवर्तनीय हो गया था, मध्यस्थ का निर्णय नहीं रह गया, जो पक्षों या उनकी निजताओं को बाध्य करता है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि एक पुरस्कार उस सम्मान का हकदार है जो अंतिम उपाय के निर्णय और डिक्री के कारण है। और यदि पक्षकारों के बीच घोषित किया गया पुरस्कार अंतिम हो जाता है, तो पुरस्कार के विषय का दूसरा संदर्भ अक्षम हो जाता है। इसने आगे कहा कि यदि पुरस्कार अंतिम है और पक्षों के लिए बाध्यकारी है, तो यह शायद ही कहा जा सकता है कि यह एक बेकार कागज है जब तक कि इसे "अदालत का नियम" नहीं बनाया जाता है। हेगड़े, जे., जो सीकरी, जे. (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था) की उपरोक्त टिप्पणियों से सहमत थे, ने बचावत की ओर से बोलते हुए यह भी कहा कि मध्यस्थता का पहला चरण है जो मध्यस्थता समझौते के साथ शुरू होता है और इसके साथ समाप्त होता है -

पुरस्कार बनाना, और फिर दूसरा चरण जो पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना एक बात है कि अधिकार पुरस्कार द्वारा नहीं बनाया जाता है, लेकिन यह है

यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि बनाए गए अधिकार को आगे के कदमों के बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

16. इसलिए, इस मुद्दे पर हमारा जवाब यह है कि विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कार अदालतों के निर्णयों और फरमानों में विलय नहीं हुए, भले ही अदालतें अपने निर्णयों और फरमानों द्वारा ऐसे पुरस्कारों को अदालतों के माध्यम से उनकी प्रवर्तनीयता के लिए "न्यायालय के नियम" बनाती हैं, जो उनके निर्णयों के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अपनी मशीनरी का उपयोग करते हैं, यानी, उनके अपने निर्णय और फरमान।

17. यह सच है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है, कि एक विधायिका के पास ऐसा कानून बनाकर पहले के न्यायिक निर्णयों को अप्रभावी बनाने की कोई विधायी शक्ति नहीं है जो केवल पहले के न्यायिक निर्णयों को अमान्य या बाध्यकारी नहीं घोषित करता है, क्योंकि ऐसी शक्ति का प्रयोग करने पर यह उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधायी शक्ति नहीं होगी, बल्कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक शक्ति होगी जो विशेष रूप से अदालतों में निहित राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करती है। द.

कहा गया तर्क, चूंकि कानून में सही और अच्छी तरह से स्थापित स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमने इस न्यायालय के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करना अनावश्यक समझा है। याचिकाकर्ताओं ने, उस ओर से और इसलिए उन्हें संदर्भित नहीं किया है।

18. 1991 के संशोधन अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक बनाने के लिए कि यह उन न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को अमान्य या अप्रभावी बनाता है जिनके द्वारा विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कारों को "न्यायालय के नियम" बनाया जाता है, ऐसे निर्णय और फरमान उनके द्वारा दिए गए निर्णय होने चाहिए-उनके समक्ष विवाद के विषयों के संबंध में निर्णय लेने की अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए और न कि जहां वे विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के "न्यायालय के नियमों" के पुरस्कारों को बनाने के लिए निर्णय और फरमान देते हैं ताकि उन्हें अदालतों की मशीनरी के माध्यम से लागू किया जा सके। इस प्रकार, विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कार जब अतिरिक्त मुहर प्राप्त करते हैं

ऐसे पुरस्कारों के लिए अदालतें, उन्हें बनाने वाली अदालतों द्वारा

बनाना, जैसा कि उनके निर्णयों के लिए मुकदमों के माध्यम से सीधे उनके सामने लाए गए कारणों में होता है। जैसे हम। सरकार के लिए किसी पक्ष सचिव के दावे या कारण के बारे में पहले ही बताया जा चुका है।

केरल का, इर्रिगेशन पार्टमेंट v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

जो विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय में विलय हो जाता है, बदले में, सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री में विलय हो जाता है, ताकि पुरस्कार को "न्यायालय का नियम" बनाया जा सके, ताकि इसे लागू किया जा सके। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि न्यायालय भले ही "न्यायालय के नियम" बनाने के लिए अपने निर्णय और फरमान देते हैं, वे निर्णय और फरमान विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के निर्णयों के लिए अपने स्वयं के निर्णयों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

उनके पुरस्कार। यह स्थिति यह स्पष्ट करती है कि विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कारों को अपने निर्णयों और फरमानों द्वारा "न्यायालय के नियम" बनाने में दीवानी न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति निर्णय और फरमान देने में उनकी न्यायिक शक्ति नहीं है, क्योंकि दीवानी न्यायालय पक्षों के बीच विवादों को हल करने के लिए उनमें निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सटीक होने के लिए, विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कारों को उनके एकमात्र उद्देश्य के लिए "न्यायालय के नियम" बनाने में दीवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय और फरमान। न्यायालय के तंत्र के माध्यम से प्रवर्तनीयता, सिविल न्यायालय के ऐसे निर्णय और फरमान नहीं बना सकती है, जो कि राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय हैं जो विशेष रूप से हमारे संविधान के तहत उनमें निवेश किए गए हैं। इस प्रकार, जब निर्णय और फरमान

सिविल न्यायालयों द्वारा विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कार देने में किए गए निर्णय "न्यायालय के नियम" वे निर्णय और फरमान नहीं हैं जो हमारे संविधान के तहत राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, 1991 का संशोधन अधिनियम जब उन न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को रद्द कर देता है जिनके द्वारा विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कार "न्यायालय के नियम" बनाए जाते हैं, तो इसे उड़ीसा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित नहीं माना जा सकता है जो हमारे संविधान के तहत न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली राज्य की न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण करता है। इसलिए, 1991 का संशोधन अधिनियम उन न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को रद्द कर देता है जिनके द्वारा विशेष मध्यस्थता के पुरस्कार दिए जाते हैं।

न्यायाधिकरणों को "न्यायालय के नियम" बनाया जाता है, यहां तक कि जहां उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है, उन्हें उड़ीसा राज्य विधानमंडल द्वारा न्यायिक का उल्लंघन करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

न्यायालयों में निहित राज्य की शक्ति जो इसे बनाएगी

असंवैधानिक "।

[जोर दिया गया] [2022]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

89. यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने कहा है कि सिविल न्यायालयों द्वारा विशेष न्यायालयों के पुरस्कार देने में दिए गए निर्णय और फरमान

मध्यस्थता न्यायाधिकरण "न्यायालय के नियम" एकमात्र उद्देश्य के लिए हैं -

न्यायालयों के तंत्र के माध्यम से उनकी प्रवर्तनीयता और इसलिए, सिविल न्यायालयों के ऐसे निर्णय और फरमान राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं किए जा सकते हैं जो विशेष रूप से उनके अधीन निहित हैं।

भारत का संविधान। अतः इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1991

संशोधन अधिनियम, जो न्यायालय के उन निर्णयों और फरमानों को निरस्त करता है जिनके द्वारा विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कारों को "न्यायालय के नियम" बनाया जाता है, को न्यायिक शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है।

भारत के संविधान के तहत न्यायालयों द्वारा प्रयोग करने योग्य राज्य का।

90. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसी निर्णय में, यह

न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 28. इस प्रकार, विवादित 1991 का संशोधन अधिनियम रद्द करने का प्रयास करता है

विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए पुरस्कार

1984 के संशोधन अधिनियम के तहत गठित, उस अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए। जब विशेष मध्यस्थता द्वारा 1984 के संशोधन अधिनियम के तहत दिए गए पुरस्कार
न्यायाधिकरणों को राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिन्हें न्यायालय के नियमों या न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों में विलय नहीं माना जा सकता है, उन्हें 1991 के संशोधन अधिनियम द्वारा रद्द करने की मांग की जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति का उपयोग 1991 के विवादित संशोधन अधिनियम को लागू करके विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के पुरस्कारों को रद्द करने या निरस्त करने के लिए किया जाता है। [कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, पुनः [1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 96 (2): ए. आई. आर 1992 एस. सी 522: 1991 पूरक (2) एससीआर 497]। इससे यह पता चलता है कि राज्य विधानमंडल ने 1991 के संशोधन अधिनियम को लागू करके

न्यायिक प्राधिकरण को सौंपी गई न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण किया है जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक प्राधिकरण की मूल विशेषता का उल्लंघन हुआ है। संविधान-कानून का शासन। इस प्रकार, जब 1991

संशोधन अधिनियम विशेष के पुरस्कारों को रद्द कर देता है न्यायपालिका के प्रयोग में बनाए गए मध्यस्थता न्यायाधिकरण

1984 के संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्ति, राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करके, हमारे पास इसे असंवैधानिक घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो कि अच्छी तरह से स्थापित और निर्विवाद रूप से कानूनी है।

स्थिति कि एक विधायिका के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है

पहले के न्यायिक निर्णयों को अप्रभावी बनाते हुए

एक कानून जो केवल पहले के न्यायिक निर्णयों की घोषणा करता है अमान्य और बाध्यकारी नहीं, ऐसी शक्तियों के लिए, यदि प्रयोग किया जाता है,

उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधायी शक्ति नहीं होगी, लेकिन

न्यायिक न्यायाधिकरण में निहित राज्य की न्यायिक शक्ति 1984 के तहत विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरण

संशोधन अधिनियम। इसके अलावा, जहां मध्यस्थता पुरस्कार

1984 के संशोधन के तहत स्वयं राज्य द्वारा गठित मध्यस्थता विवादों को तय करने के लिए अधिनियम जिसमें कौन सा राज्य एक पक्ष था,

इसे ऐसे मध्यस्थता पुरस्कारों को पूर्ववत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो इसके खिलाफ चले गए हैं, इसके विधान का सहारा लेकर

ऐसी अनुमति देने की शक्ति जिसके परिणामस्वरूप हो सकता है राज्य को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति देना, यदि और कुछ नहीं

कानून "।

[जोर दिया गया]

91. अदालत ने आगे कहा कि 1984 के संशोधन अधिनियम के तहत,

विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों का गठन स्वयं राज्य द्वारा मध्यस्थता विवादों का निर्णय करने के लिए किया गया था। इसने अभिनिर्धारित किया कि राज्य ऐसे न्यायाधिकरणों के समक्ष एक पक्षकार था और इसलिए, उसे ऐसे मध्यस्थता पुरस्कारों को पूर्ववत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उसके खिलाफ गए थे। इसने आगे कहा कि यदि अपनी विधायी शक्ति का सहारा लेकर इस तरह की कवायद की अनुमति दी जाती है, तो इसका परिणाम राज्य को अपनी कानून की शक्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति देने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

92. न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इसके तहत दिए गए पुरस्कार

1984 विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा संशोधन अधिनियम को 1991 के संशोधन अधिनियम द्वारा रद्द करने की मांग की गई है। इस प्रकार, विधायी शक्ति

न्यायालय ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। यह न्यायालय आगे यह अभिनिर्धारित करता है कि राज्य विधानमंडल ने 1991 के संशोधन अधिनियम को लागू

करके न्यायिक प्राधिकरणों में निहित न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण किया है और इस प्रकार, इसका उल्लंघन किया है। 41993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 96 (2)

भारत के संविधान की मूल विशेषता "कानून का शासन" है। इस प्रकार, इस न्यायालय ने 1991 के संशोधन अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि 1984 के संशोधन अधिनियम के तहत विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा पारित मध्यस्थता पुरस्कारों को 1991 के संशोधन अधिनियम द्वारा रद्द करने की मांग की गई है।

93. जी. सी. के मामले में की गई उपरोक्त टिप्पणियों का अवलोकन। कानूनगो (ऊपर) यह खुलासा करेगा कि एक ओर, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि जिन निर्णयों और फरमानों के द्वारा दीवानी अदालतें "न्यायालय के नियम" पुरस्कार देती हैं, वे अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार, पुरस्कार न्यायालय के निर्णयों और फरमानों में विलय नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी ओर, न्यायालय यह ठहराता है कि विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा पारित पुरस्कार न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायाधिकरणों द्वारा पारित पुरस्कार हैं और इस तरह, जब राज्य ऐसे पुरस्कारों को रद्द कर देता है, तो वह अपने लिए एक न्यायिक शक्ति और

जो क़ानून इसे निरस्त करता है, वह असंवैधानिक है क्योंकि यह राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण है।

94. जीसी के बाद से। कानूनगो (ऊपर) ने अंततः 1991 के संशोधन अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया है कि यह विशेष मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा पारित पुरस्कारों को रद्द कर देता है, इस सवाल पर विचार करना आवश्यक नहीं हो सकता है कि क्या जीसी। कानूनगो (ऊपर) का यह मानना सही था कि जिन निर्णयों और फरमानों के माध्यम से पुरस्कारों को "न्यायालय के नियम" बनाया जाता है, वे न्यायिक शक्ति के प्रयोग में पारित नहीं किए जाते हैं।

तथापि, जी. सी. के मामले में अनुच्छेद 17 का अवलोकन। कानूनगो (ऊपर) यह प्रकट करेगा कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों को दर्ज किया है कि एक विधानमंडल के पास ऐसा कानून बनाकर पहले के न्यायिक निर्णयों को अप्रभावी बनाने की कोई विधायी शक्ति नहीं है जो केवल पहले के न्यायिक निर्णयों को अमान्य या बाध्यकारी नहीं घोषित करता है। इसने यह भी दर्ज किया कि यदि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यह उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधायी शक्ति नहीं होगी, बल्कि एक न्यायिक शक्ति होगी, जो विशेष रूप से अदालतों में निहित राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करेगी। यह आगे प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को वकील द्वारा उद्धृत किया गया था

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के लिए, इस न्यायालय ने उक्त निर्णयों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं पाया, क्योंकि इस न्यायालय ने पाया कि उक्त प्रस्तुतियाँ कानून में एक सही और अच्छी तरह से स्थापित स्थिति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह ध्यान देने योग्य होगा कि उक्त मामले में, यह न्यायालय उड़ीसा के प्रावधानों के खिलाफ 1940 के अधिनियम के प्रावधानों पर विचार कर रहा था। राज्य अधिनियम। वर्तमान मामले में भी, सभी पुरस्कारों के साथ-साथ ऐसे पुरस्कार देने वाले दीवानी न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और फरमान "शासन को सचिव के नियम"।

" 1940 के अधिनियम के तहत पारित किए गए हैं। इसलिए, हम पाते हैं कि उक्त निष्कर्ष की शुद्धता की जांच करना उचित है।

95. 1940 के अधिनियम की योजना पर विचार करना आवश्यक होगा

ई उसकी धारा 15,16,17 और 30 में पाया जाता है, जो इस प्रकार हैः

" 15. पुरस्कार को संशोधित करने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय द्वारा

पुरस्कार को संशोधित या सही करने का आदेश -

(क) जहाँ यह प्रतीत होता है कि अधिनिर्णय का एक भाग किसी ऐसे मामले पर है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया गया है और ऐसे हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग किया जा सकता है और यह मामले पर निर्णय को प्रभावित नहीं करता है।

(बी) जहां पुरस्कार रूप में अपूर्ण है, या इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसे ऐसे निर्णय को प्रभावित किए बिना संशोधित किया जा सकता है; या (ग) जहाँ पुरस्कार में लिपिकीय गलती या आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न त्रुटि हो।

16. पुरस्कार भेजने की शक्ति। — (1) न्यायालय समय-समय पर निर्णय या मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी भी मामले को मध्यस्थों या अंपायर को ऐसी शर्तों पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।

उचित समझता है

(क) जहां अधिनिर्णय ने मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किसी भी मामले को अनिर्धारित छोड़ दिया है, या जहां यह किसी ऐसे मामले को निर्धारित करता है जो मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं है और ऐसे मामले को अलग नहीं किया जा सकता है।

निर्दिष्ट मामलों के निर्धारण को प्रभावित किए बिना; या

((ख) जहां पुरस्कार इतना अनिश्चित है कि निष्पादन में असमर्थ है; या (ग) जहां पुरस्कार की वैधता पर आपत्ति स्पष्ट है।

बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित किसी भी समय को न्यायालय के बाद के आदेश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। (3) उप-धारा (1) के तहत प्रेषित पुरस्कार मध्यस्थ या अंपायर द्वारा इस पर पुनर्विचार करने और प्रस्तुत करने में विफलता पर अमान्य हो जाएगा।

निर्धारित समय के भीतर उसका निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. पुरस्कार के संदर्भ में निर्णय। जहाँ न्यायालय नहीं देखता है

पुरस्कार या मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए प्रेषित करने या पुरस्कार को रद्द करने के लिए, न्यायालय, पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने के समय के बाद समाप्त हो गया है, या ऐसा आवेदन किया गया है, इसे अस्वीकार करने के बाद, पुरस्कार के अनुसार निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगा, और इस तरह से घोषित निर्णय पर एक डिक्री का पालन करेगा, और ऐसी डिक्री से कोई अपील इस आधार के अलावा नहीं होगी कि यह पुरस्कार से अधिक है, या अन्यथा पुरस्कार के अनुसार नहीं है।

30. पुरस्कार अलग रखने के लिए आधार। — पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों को छोड़कर अलग रखा जाएगा, अर्थात्

(क) कि एक मध्यस्थ या अंपायर ने खुद को या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया है;

(ख) कि न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का स्थान लेने वाले आदेश के जारी होने के बाद या मध्यस्थता के बाद कोई निर्णय दिया गया है।

धारा 35 के तहत कार्यवाही अमान्य हो गई है;
((ग) कि कोई पुरस्कार अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है या अन्यथा है।

अमान्य "।

96. 1940 के अधिनियम की धारा 15 के अवलोकन से पता चलता है कि अदालत, एक आदेश द्वारा, एक पुरस्कार को संशोधित या सही कर सकती है, जहां यह प्रतीत होता है।

कि अधिनिर्णय का एक भाग किसी ऐसे मामले पर है जो मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं है और ऐसे भाग को दूसरे भाग से अलग किया जा सकता है और यह निर्दिष्ट मामले पर निर्णय को प्रभावित नहीं करता है। न्यायालय पुरस्कार को संशोधित या सही भी कर सकता है, जहां पुरस्कार रूप में अपूर्ण है, या इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसे ऐसे निर्णय को प्रभावित किए बिना संशोधित किया जा सकता है। 1940 के अधिनियम की धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है, जहां पुरस्कार में लिपिकीय गलती या आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न त्रुटि होती है।

97. 1940 के अधिनियम की धारा 16 अदालत को निर्णय या मध्यस्थ या अंपायर को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किसी भी मामले को प्रेषित करने का अधिकार देती है।

पुनर्विलोकन के लिए, जहां यह पाया जाता है कि निर्णय ने मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किसी भी मामले को अनिर्धारित छोड़ दिया है, या जहां यह किसी ऐसे मामले को निर्धारित करता है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया गया है और ऐसे मामले को निर्दिष्ट मामलों के निर्धारण को प्रभावित किए बिना अलग नहीं किया जा सकता है।

ऐसी शक्ति सरकार के लिए सचिव है। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

जहां पुरस्कार इतना अनिश्चित है कि निष्पादन में असमर्थ है, वहां भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए भी, जहां पुरस्कार की वैधता पर कोई आपत्ति इसके सामने स्पष्ट है, अदालत को इसे प्रेषित करने का अधिकार होगा। पुरस्कार।

98. 1940 के अधिनियम की धारा 30 उन आधारों का प्रावधान करती है जिनके आधार पर एक पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है। इसमें प्रावधान है कि पुरस्कार को तब अलग किया जा सकता है जब किसी मध्यस्थ या अंपायर ने खुद को या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया हो। इसे तब दरकिनार किया जा सकता है जब यह पाया जाता है कि न्यायालय द्वारा मध्यस्थता को निरस्त करने वाले आदेश के जारी होने के बाद या धारा 35 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही अमान्य हो जाने के बाद पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार को तब भी अलग किया जा सकता है जब अदालत को पता चलता है कि पुरस्कार अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है या अन्यथा अमान्य है।

99. 1940 के अधिनियम की धारा 17 अदालत को फैसला सुनाने का अधिकार देती है।

पुरस्कार के अनुसार एक निर्णय, और इस प्रकार घोषित निर्णय पर एक डिक्री का पालन करना है। यह आगे प्रावधान करता है कि ऐसी डिक्री पर कोई अपील इस आधार के अलावा नहीं होगी कि यह पुरस्कार से अधिक है या अन्यथा उसके अनुसार नहीं है। हालाँकि, निर्णय सुनाने से पहले, अदालत को संतुष्ट होना आवश्यक है कि निर्णय या मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए या निर्धारित करने का कोई कारण नहीं है।

पुरस्कार को एक तरफ कर दिया जाता है। न्यायालय को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त नहीं हो जाता है, या ऐसा आवेदन किया जा चुका है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। 100. 1940 के अधिनियम की योजना के अवलोकन से ही पता चलेगा कि अधिनियम की धारा 17 के तहत निर्णय और डिक्री का पारित होना

1940 अधिनियम केवल औपचारिकता नहीं है। फैसला तभी सुनाया जा सकता है जब अदालत संतुष्ट हो कि पुरस्कार भेजने या पुरस्कार को रद्द करने के लिए कोई कारण नहीं बनाया गया है। न्यायालय को भी धन भेजने का अधिकार है या

पुरस्कारों को संशोधित करें। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय, एक निर्णय पारित करते समय, जिसके बाद एक डिक्री आती है, न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। अदालत को यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए और एक पद नहीं होना चाहिए

कार्यालय।

101. हरिनगर के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

शुगर मिल्स लिमिटेड v. श्याम सुंदर झुनझुनवाला और अन्य 42,

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के दायरे पर विचार करने का अवसर। इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के तहत केंद्र सरकार का अधिकार

प्रशासनिक प्राधिकरण। उक्त निवेदन को अस्वीकार करते हुए, जे. सी. शाह ने इस प्रकार कहाः

‘ .... लेकिन वह धारा 111 खंड के तहत एक अपील में

(3) चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच कोई विवाद है

उनके नागरिक अधिकारों से संबंधित, और केंद्र सरकार है के अनुसार उस विवाद को निर्धारित करने के लिए शक्ति के साथ निवेश किया

कानून अर्थात इसे प्रस्ताव पर विचार करना और निर्णय लेना होता है और

साक्ष्य के आलोक में आपत्तियाँ, न कि आधार पर

केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया जाना परिसीमित नहीं है व्यक्त अधिनियम द्वारा, लेकिन शक्ति उस पर नहीं है

अनियंत्रित खाता। आदेश की अपील करने की शक्ति स्थानान्तरण के पंजीकरण का प्रयोग इसके अधीन किया जाना चाहिए -

उन पर लगाई गई सीमाओं के समान

उसके लिए एक याचिका में अदालत की शक्ति का प्रयोग

न्यायालय की शक्ति का प्रयोग भी लागू होता है केंद्र द्वारा अपीलीय शक्ति का प्रयोग

सरकार यानी केंद्र सरकार को निर्णय लेना है

चाहे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, निदेशक हैं

दमनकारी, मनमौजी या भ्रष्ट रूप से कार्य करना, या कुछ में

बदनीयती से। यह निर्णय स्पष्ट रूप से उन पर कायम है

वस्तुनिष्ठ परीक्षण, और केवल पर आधारित नहीं किया जाना है

निर्णय लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि

सवाल करते हैं। प्राधिकरण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। समीचीनता के आधार पर इसके निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया गयाः कानून

केंद्र सरकार को विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता द्वारा किए गए दावों से उत्पन्न होने वाले

कंपनी द्वारा किस दावे का विरोध किया जाता है, और संबंधित विवादों पर निर्णय, के अधिकार

चुनाव लड़ने वाले दल सीधे प्रभावित होते हैं। प्रथम दृष्टया,

इस तरह के अधिकार का प्रयोग न्यायिक होगा। यह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क़ानून जो शक्ति प्रदान करता है

केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं करती है

शक्ति का विस्तार: लेकिन अधिकार क्षेत्र की प्रकृति

आवश्यक है कि इसका प्रयोग इसके अधीन किया जाए

सीमाएँ जो धारा 155 के तहत न्यायालय पर लागू होती हैं।

धारा 111 की उप-धारा (8) का परंतुक स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

कि उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में सरकार के लिए उचित गोपनीयता।

केरल का, अलगाव

भाग V. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

मुआवजे को शेयरों के बदले में दिया जा सकता है। यह उचित मुआवजे का निर्धारण करना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा; और उचित मुआवजा कुछ के आवेदन के अलावा पता नहीं लगाया जा सकता है

केवल सभी को ध्यान में रखते हुए क्या उद्देश्य मानकों

मामले की परिस्थितियाँ।

बॉम्बे प्रांत में V. कुसलदास एस.

आडवाणी [(1950) एस. सी. आर. 621] इस न्यायालय ने इस भेद पर विचार किया

निर्णयों के बीच अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक या मंत्री यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या वे हैं

प्रमाणपत्र की एक रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र के अधीन, फजल अली,

जे. पी. 642 देखा गयाः

" आम बोलचाल में 'निर्णय' शब्द कमोबेश एक तटस्थ अभिव्यक्ति है और इसका उपयोग संदर्भ के साथ किया जा सकता है

विशुद्ध रूप से कार्यकारी कार्यों के साथ-साथ न्यायिक आदेश भी। केवल यह तथ्य कि एक कार्यकारी प्राधिकरण को कुछ तय करना होता है, निर्णय को न्यायिक नहीं बनाता है। यह वह तरीका है जिससे निर्णय पर पहुंचना पड़ता है जिससे अंतर पड़ता है, और वास्तविक परीक्षा हैः क्या न्यायिक रूप से निर्णय लेने का कोई कर्तव्य है?

न्यायालय ने निम्नलिखित परीक्षण के सुझाव को भी मंजूरी दी

राजा वी. लंदन काउंटी काउंसिल [(1931) 2 KB 215,233]

स्क्रूटन, एल. जे. :

" यह आवश्यक नहीं है कि यह उस अर्थ में एक न्यायालय होना चाहिए जिसमें यह न्यायालय एक न्यायालय है; यह पर्याप्त है यदि यह प्रयोग कर रहा है,

साक्ष्य सुनने के बाद, न्यायिक कार्य इस अर्थ में होता है कि उसे एक प्रस्ताव और एक प्रस्ताव के बीच साक्ष्य पर निर्णय लेना होता है। विरोध ; और कड़ाई से एक
अदालत होना आवश्यक नहीं है; यदि यह एक न्यायाधिकरण है जिसे साक्ष्य और विरोध सुनने के बाद अधिकारों का फैसला करना है, तो यह प्रमाण पत्र के रिट के लिए उत्तरदायी है।

भारत बैंक लिमिटेड में, दिल्ली बनाम. कर्मचारी [(1950) एससीआर

459] सवाल यह है कि क्या एक औद्योगिक द्वारा एक निर्णय

औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत कार्य करने वाला न्यायाधिकरण था

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निर्धारित किया जाना थाः महाजन, जे. उस मामले में देखा गयाः

" इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस [2022] 3 एस. सी. आर. में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरण और घरेलू न्यायाधिकरण मौजूद हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देश के साथ-साथ दुनिया के अन्य देशों में लेकिन

प्रत्येक मामले में निर्णय लेने के लिए वास्तविक प्रश्न यह है कि उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली राज्य की न्यायिक शक्ति की सीमा क्या है। न्यायाधिकरण जो संप्रभु शक्ति से अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं

अनुच्छेद 136 के दायरे में नहीं आ सकता है। अनुच्छेद 136 के दायरे में एक न्यायाधिकरण लाने की पूर्व शर्त यह है कि इसका गठन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। फिर से एक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 136 के दायरे से बाहर होगा यदि राज्य के न्यायिक कार्यों के किसी भी हिस्से के साथ निवेश नहीं किया जाता है, लेकिन विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या कार्यकारी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हालाँकि, वे न्यायाधिकरण जो न्याय की अदालत के कुछ कार्यों के साथ निवेशित पाए जाते हैं और जिनके कुछ निहितार्थ भी अनुच्छेद 136 के दायरे में आते हैं और जब भी न्याय के हित में उस नियंत्रण का प्रयोग करना आवश्यक और आवश्यक पाया जाता है तो वे इस न्यायालय के अपीलीय नियंत्रण के अधीन होंगे।

यह फाज़ी अली, जे. द्वारा भी देखा गया था। 463 , कि एक निकाय जिसे न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और जो राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाला होना बंद नहीं होता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से किसी मान्यता प्राप्त मूल कानून द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता नहीं है।

विवाद जो उसके सामने आते हैं।

गोपनीय होना, लेकिन यह साक्ष्य के लिए न्यायिक दृष्टिकोण के साथ नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 54 के तहत आयकर अधिनियम (जो समान है) किसी भी विवरण, प्रस्तुत विवरण या खाते में निहित सभी विवरण या

अधिनियम के प्रावधानों के तहत या दिए गए किसी भी साक्ष्य, या शपथ पत्र या बयान में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान इस प्रकार माना जाना चाहिएः गोपनीय; लेकिन यह कर अधिकारियों के निर्णय को केवल कार्यकारी नहीं बनाता है। चूंकि पक्षों के बीच विवाद नागरिक अधिकारों से संबंधित है और अधिनियम सरकार को सचिव प्रदान करता है।

अपील के अधिकार के लिए और इसके बारे में विस्तृत प्रावधान करता है

इस निष्कर्ष से बचें कि उस पर एक कर्तव्य लगाया गया है कार्रवाई करने की अपील पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार

न्यायिक रूप से "।

[जोर दिया गया]

102. इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिबंध जो

इसमें न्यायालय की शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अपीलीय शक्ति के प्रयोग पर भी लागू होता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार को यह तय करना है कि क्या अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए,

निर्देशक दमनकारी, मनमौजी या भ्रष्ट तरीके से या किसी तरह से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। यह निर्णय स्पष्ट रूप से उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है परीक्षण, और केवल प्रश्न का निर्णय करने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकारिता की प्रकृति के लिए आवश्यक है कि इसका प्रयोग उन सीमाओं के अधीन किया जाए जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 155 के तहत न्यायालय पर लागू होती हैं। यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि पक्षों के बीच विवाद नागरिक अधिकारों से संबंधित है और अधिनियम अपील के अधिकार का प्रावधान करता है और कानून के अनुसार सुनवाई और निपटान के बारे में विस्तृत प्रावधान करता है, इसलिए इस निष्कर्ष से बचना असंभव है कि न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए अपील पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार पर एक कर्तव्य लगाया जाता है।

103. एम. हिदायतुल्ला, जे., एक अलग लेकिन सहमत निर्णय में,

इस प्रकार देखा गयाः

" न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों अर्थों में "न्यायिक रूप से" कार्य करते हैं, और

"न्यायालय" शब्द में साधारण और स्थायी न्यायाधिकरण शामिल हैं।

और "न्यायाधिकरण" शब्द में अन्य सभी शामिल हैं, जो ऐसे नहीं हैं।

चाहे नाम से या कार्यालय द्वारा सुनवाई के उद्देश्य से धारा 111 के तहत अपील। यह तब स्पष्ट हो गया होगा

कि यद्यपि ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति "अदालत" नहीं थे

अर्थ समझाया गया, वे स्पष्ट रूप से "न्यायाधिकरण" थे। अधिनियम

कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास एक अपील होगी।

इसलिए हम इस सवाल का सामना कर रहे हैं कि क्या

केंद्र सरकार को एक न्यायाधिकरण कहा जा सकता है। रिलायंस है

शिवाजी में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले पर रखा गया

नाथूबाई बनाम। भारत संघ [(1960) 2 एससीआर 775] जहाँ यह [2022] 3 एससीआर था।

अभिनिर्धारित किया कि केंद्र सरकार समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करती है खनिज रियायत नियम, 1949 के तहत, अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीन था। उस मामले में जो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश से अपील पर इस न्यायालय में आया था, यह प्रांत के अधिकार पर आयोजित किया गया था

बॉम्बे बनाम। कुशलदास एस. आडवाणी [(1950) एससीआर 621] और रेक्स वी। विद्युत आयुक्तों [(1924) 1 KB 171] ने कहा कि केंद्र सरकार की कार्रवाई अर्ध-न्यायिक थी न कि

प्रशासनिक। इसके बाद यह देखा गयाः

" यह उन परिस्थितियों में स्पष्ट है कि जैसे ही नियम 52 किसी पीड़ित पक्ष को समीक्षा के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, उसके और उस पक्ष के बीच एक समझौता किया जाता है जिसके पक्ष में अनुदान दिया गया है। जब तक कि कानून में कुछ भी नहीं है

इसके विपरीत यह प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह न्यायिक रूप से कार्य करे और इसका निर्णय एक अर्ध-न्यायिक अधिनियम होगा।

यह अवलोकन केवल यह स्थापित करता है कि निर्णय एक अर्ध-न्यायिक है, लेकिन यह नहीं कहता कि केंद्र सरकार कर सकती है

न्यायाधिकरण के रूप में माना जाता है। मेरी राय में, ये बहुत अलग मामले हैं, और अब जब सवाल उठाया गया है, तो इसका फैसला किया जाना चाहिए।

लागत के भुगतान या अन्यथा के बारे में निर्देश। केंद्र सरकार का कार्य कार्यपालक है न कि कार्यपालिका। सुनवाई और साक्ष्य पर निर्णय का प्रावधान है, और यह निश्चित रूप से एक आकस्मिक कार्य है। अब, अपने कार्यों में सरकार अक्सर निर्णय लेती है, लेकिन सरकार के सभी निर्णयों को न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं माना जा सकता है। सरकार के प्रस्ताव सरकार के सचिव को प्रभावित कर सकते हैं।

पक्षों के अधिकार, और फिर भी, वे के अभ्यास में नहीं हो सकता है

न्यायिक शक्ति। सरकार के प्रस्ताव स्वीकार्य हो सकते हैं।

उपयुक्त मामलों में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट करने के लिए, लेकिन कर सकते हैं

निर्णय के रूप में अनुच्छेद 136 के तहत सीधी अपील के अधीन नहीं होना चाहिए। एक न्यायाधिकरण। हालाँकि, स्थिति तब बदलती है जब

सरकार क्यूरियल कार्यों और आय की शुरुआत करती है

न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना और विवादों का निर्णय करना। इनमें

परिस्थितियों में, उस अधिकारी का सम्मान करना वैध है जो

इस मामले से निपटता है और यहां तक कि खुद सरकार भी न्यायाधिकरण। जो अधिकारी निर्णय लेता है, वह गुमनाम भी हो सकता है; लेकिन

निर्णय एक न्यायाधिकरण में से एक है, चाहे वह उसके नाम से व्यक्त किया गया हो या केंद्र सरकार के नाम पर। "न्यायाधिकरण" शब्द है

व्यापक महत्व का एक शब्द, और शब्द "अदालत" और "न्यायाधिकरण"

उनके भीतर सभी में न्यायिक शक्ति के प्रयोग को शामिल करें।

उनके रूप। इस प्रकार सरकार का निर्णय इसके अंतर्गत आता है -

अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियाँ।

[जोर दिया गया]

104. एम. हिदायतुल्ला, जे. इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़े कि क्या

केंद्र सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक "न्यायाधिकरण" कहा जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 की योजना के अवलोकन पर, हिज लॉर्डशिप ने पाया है कि उक्त धारा के तहत केंद्र सरकार का कार्य संक्षिप्त है न कि कार्यकारी। सुनवाई और साक्ष्य पर निर्णय के लिए एक प्रावधान है, और यह निश्चित रूप से एक प्रारंभिक कार्य है। उनके नेतृत्व ने आगे कहा कि अपने विभिन्न कार्यों में, सरकार अक्सर एक निर्णय पर पहुंचती है, लेकिन सरकार के सभी निर्णयों को न्यायाधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि, जब सरकार प्रारंभिक कार्यों को शुरू करती है, और न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने और विवादों का फैसला करने के लिए आगे बढ़ती है, तो मामले से निपटने वाले अधिकारी और यहां तक कि सरकार को भी एक न्यायाधिकरण के रूप में मानना वैध है। उनका अधिपत्य आगे यह मानता है कि जो अधिकारी निर्णय लेता है, वह गुमनाम भी हो सकता है; लेकिन

निर्णय न्यायाधिकरणों में से एक है, चाहे वह उनके नाम से व्यक्त किया गया हो या केंद्र सरकार के नाम से।

105. शंकरलाल के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

अगरवाला और अन्य बनाम। शंकरलाल पोद्दार और अन्य 43, इस सवाल पर विचार कर रहे थे कि क्या कंपनी द्वारा आदेश पारित किया गया था।

43 [1964] 1 एससीआर 717 [2022] 3 एस. सी. आर.

बिक्री की पुष्टि करना एक प्रशासनिक आदेश या न्यायिक आदेश था। उक्त प्रश्न की पुष्टि करते हुए, यह न्यायालय एन. राजगोपाल के माध्यम से बोल रहा है।

एनगर, जे. ने इस प्रकार कहाः

" इन प्रावधानों के आधार पर, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या बिक्री की पुष्टि केवल प्रशासन के दौरान एक आदेश था, न कि न्यायिक आदेश। परिसमापक द्वारा बिक्री, निश्चित रूप से, कंपनी की परिसंपत्तियों की प्राप्ति के क्रम में और प्राप्त राशि को देनदारियों के निर्वहन के लिए लागू करने और अधिशेष को प्रदान किए गए तरीके से वितरित करने के उद्देश्य से प्रभावित थी। अधिनियम द्वारा। यह कहना भी सही होगा कि जब कोई परिसमापक बिक्री करता है तो वह किसी भी न्यायिक कार्य का निर्वहन नहीं कर रहा होता है। फिर भी यह नहीं माना जाता है कि न्यायालय का प्रत्येक आदेश केवल इस कारण से पारित किया जाता है कि यह कंपनी की परिसंपत्तियों की प्राप्ति के दौरान पारित किया जाता है, इसे हमेशा केवल एक प्रशासनिक आदेश के रूप में माना जाना चाहिए।

सवाल अंततः प्रकृति पर निर्भर करता है

आदेश जो पारित किया जाता है। बिक्री के लिए मंजूरी के अनुसार एक आदेश में निस्संदेह एक विवेकाधिकार शामिल होता है और इसे कहा नहीं जा सकता है।

केवल एक मंत्रिस्तरीय आदेश, बिक्री की पुष्टि करने से पहले

न्यायालय को संतुष्ट करना होगा, विशेष रूप से जहां पुष्टि का विरोध किया जाता है, कि बिक्री आयोजित की गई है

उन शर्तों के अनुसार जिनके अधीन अकेले

परिसमापक को इसे प्रभावित करने की अनुमति दी गई है, और यह भी कि

अन्यथा बिक्री उचित रही है और इसका कोई परिणाम नहीं निकला है

उन पक्षों को नुकसान जिन्हें अंततः साझा करना होगा

अनुभूति।

अगला सवाल यह है कि क्या इस तरह के आदेश को प्रशासनिक आदेश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बात स्पष्ट है कि केवल यह तथ्य कि आदेश कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रशासन के दौरान पारित किया जाता है और उन परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए इसे प्रशासनिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक न्यायिक आदेश से। उदाहरण के लिए, कंपनी को उसके देनदारों से देय राशि का निर्धारण जो कंपनी की परिसंपत्तियों की प्राप्ति की प्रक्रिया का भी हिस्सा है, एक ऐसा मामला है जो प्रशासन के दौरान उत्पन्न होता है। यह उस खाते पर यह नहीं है कि विशेष राशि का निर्धारण

एक ऋणी से देय है जिसे न्यायालय के समक्ष लाया जाता है

प्रशासनिक आदेश।

वह सरकार के सचिव हैं। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग V. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

शायद ऐसी परिभाषा तैयार करना संभव नहीं है जो

जैसा कि एक आदेश से अलग है जो पक्षों के अधिकारों का फैसला करता है या संपत्ति के अधिकार प्रदान करता है या देने से इनकार करता है जो न्यायालय के समक्ष निर्णय का विषय हैं। परीक्षणों में से एक यह होगा कि क्या कोई मामला जिसमें विवेकाधिकार का प्रयोग शामिल है, प्राधिकरण के निर्णय के लिए छोड़ दिया जाता है, विशेष रूप से यदि वह प्राधिकरण एक न्यायालय था, और यदि

विवेकाधिकार का प्रयोग उद्देश्य पर किया जाना चाहिए, जैसा कि विशिष्ट है

विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक विचार से, यह एक न्यायिक निर्णय होगा। कभी-कभी यह कहा जाता है कि न्यायिक कार्यवाही या न्यायिक आदेश का सार यह है कि दो पक्ष होने चाहिए और उनके बीच एक समझौता होना चाहिए जो उस आदेश या प्रस्ताव और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर निर्णय के परिणामस्वरूप निर्णय का विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण के समक्ष एल. आई. एस. का निर्णय लेने के लिए पारित आदेश का वर्णन करना संभव नहीं होगा, कि यह एक न्यायिक आदेश नहीं है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति का पालन नहीं करता है

ए. एल. आई. एस. अनिवार्य रूप से न्यायिक होने के कारण आदेश को नकारता है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण से भी यह माना जा सकता है कि कंपनी न्यायाधीश के समक्ष एक सूची थी जिसे उन्होंने आदेश पारित करके तय किया था। एक ओर सबसे अधिक बोली लगाने वाले के दावे थे जिन्होंने यह तर्क दिया कि उन्होंने संतुष्ट किया था

उनकी बोली की स्वीकृति के लिए निर्धारित आवश्यकताओं और परिणामस्वरूप उनके पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने का हकदार था, विशेष रूप से इसलिए कि आधिकारिक परिसमापकों द्वारा इस ओर से उनका समर्थन किया गया था। दूसरी ओर पहला प्रत्यर्थी था और उसके बारे में बात नहीं करने के लिए, असुरक्षित लेनदारों का बड़ा समूह जिसका

हितों, भले ही उनका प्रतिनिधित्व प्रथम प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया हो, न्यायालय उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य था। यदि बिक्री जिसकी पुष्टि मांगी गई थी, शर्तों से किसी भी विचलन की विशेषता थी

जिसके अधीन बिक्री आयोजित करने का निर्देश दिया गया था या अन्यथा भी इस अर्थ में सकल कम मूल्य के लिए थी कि अगर बिक्री 3,37,000 के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से आयोजित की गई थी, जो कि [2022] 3 एस. सी. आर. थी, तो बहुत अधिक प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती थी।

नंदलाल अग्रवाल द्वारा बोली, यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि

के सामान्य निकाय के हितों में पुष्टि से इनकार करें

लेनदार और यह प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार न्यायालय के समक्ष दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए - दो विरोधी पक्ष या हित और न्यायालय को बुलाया गया था

उनके बीच निर्णय लेने के लिए। और निर्णय ने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया

सम्पत्ति पर पक्षकारों के अधिकार। इस दृष्टि से हम स्पष्ट रूप से

राय है कि न्यायालय का आदेश, परिस्थितियों में, एक था

न्यायिक आदेश और एक प्रशासनिक नहीं था और इसलिए नहीं था

स्वाभाविक रूप से अपील में लाए जाने में असमर्थ।

[जोर दिया गया]

106. शंकरलाल के मामले में संविधान पीठ

अग्रवाल और अन्य (ऊपर) ने कहा कि यह सवाल निर्भर करेगा कि अदालत द्वारा पारित आदेश प्रशासनिक है या न्यायिक।

पारित किए गए आदेश की प्रकृति पर। इस आदेश में निस्संदेह विवेकाधिकार शामिल है और इसे केवल एक मंत्रिस्तरीय आदेश नहीं कहा जा सकता है। उनके नेतृत्व ने एक प्रशासनिक आदेश को एक ऐसे आदेश के रूप में प्रतिष्ठित किया जो पक्षों के अधिकारों का निर्णय करने वाले या संपत्ति को अधिकार प्रदान करने या देने से इनकार करने वाले आदेश के विपरीत मामलों के विनियमन या पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित है। जो न्यायालय के समक्ष निर्णय का विषय हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रयोग की गई शक्ति प्रशासनिक है या न्यायिक, यह तय करने के लिए परीक्षणों में से एक यह होगा कि क्या कोई मामला, जिसमें विवेकाधिकार का प्रयोग शामिल है, प्राधिकरण के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया है।

विशेष रूप से यदि वह अधिकार एक अदालत थी, और यदि विवेकाधिकार का प्रयोग उद्देश्य पर किया जाना है, जैसा कि विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक से अलग है, विचार करने पर, यह एक न्यायिक निर्णय होगा।

107. ऊपर हमने इस योजना पर विस्तार से विचार किया है।

1940 के अधिनियम की धारा 15,16 और 17 के तहत। उक्त योजना के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि पुरस्कार देने से पहले " न्यायालय "एक निर्णय और डिक्री पारित करके, न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करने, अपने दिमाग को लागू करने और न्यायिक रूप से अपने विवेक का प्रयोग

करने की आवश्यकता होती है। हम पाते हैं कि जी. सी. के मामले में उपरोक्त प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है। कानूनगो (ऊपर)। उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन, जैसा कि हमने ऊपर विचार किया है, स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि 1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। इसलिए हमारा विचार है कि इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 15 से 18 में दर्ज किए गए निष्कर्ष सरकार के लिए सचिव हैं।

जीसी के मामले में। कानूनगो (उपर्युक्त) 1940 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।

108. हम आगे पाते हैं कि हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (ऊपर) और शंकरलाल के मामलों में दो संविधान पीठ हैं।

अग्रवाल और अन्य (ऊपर) ने विस्तार से विचार किया है कि अदालत की न्यायिक शक्ति के रूप में क्या माना जा सकता है। हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, हालांकि प्रयोग की जाने वाली शक्ति केंद्र सरकार द्वारा थी, संविधान पीठ ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के दायरे की जांच करने पर उक्त शक्ति को न्यायिक माना। शंकरलाल अग्रवाल और अन्य (उपरोक्त) के मामले में, संविधान पीठ ने न्यायालय की प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों के बीच अंतर किया। जी. सी. के मामले में पैराग्राफ 17 में यह न्यायालय। कानूनगो (उपरोक्त) ने ठीक ही कहा कि राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाकर पहले के न्यायिक निर्णयों को अप्रभावी बनाने की कोई विधायी शक्ति नहीं है। यह केवल पहले के निर्णयों को अमान्य या बाध्यकारी नहीं घोषित नहीं कर सकता है। हालाँकि, इसे देखते हुए, पैराग्राफ 18 में, इस न्यायालय ने कहा कि

1940 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (ऊपर) और शंकरलाल अग्रवाल और अन्य (ऊपर) के मामलों में संविधान पीठ के दो निर्णयों को भी शामिल करें। 109. बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ। बिहार राज्य और अन्य ", था

इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या बॉम्बे राज्य और अन्य के मामले में बहुमत निर्णय v। यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य 45 ने एक सही कानून बनाया। जाने के लिए अदालत का अधिकार

बहुमत से परे निर्णय पर सवाल उठाया गया था। उक्त आपत्ति पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष में जाने से पहले, कार्यवाहक सी. जे. एस. आर. दास ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

..... हस्तक्षेप करने वालों में से कुछ के विद्वान वकील बहुमत के फैसले के पीछे जाने के हमारे अधिकार पर सवाल उठाते हैं। इसलिए, इस स्तर पर अनुच्छेद 286 के निर्माण के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करने से पहले इस प्रारंभिक प्रश्न का निर्धारण करना आवश्यक है।

44 [1955] 2 एससीआर 603 45 [1953] एससीआर 1069 [2022] 3 एससीआर

इंग्लैंड में, अपील न्यायालय ने अपनी शक्ति को लागू किया है

पूर्ववर्ती पूर्ववर्तियों की समीक्षा की एक सीमा, कुछ शर्तों के अधीन

अपवाद। इस प्रकार स्वीकार की गई सीमा यह है कि यह अपने स्वयं के और समन्वित क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य है, और "पूर्ण" न्यायालय इस संबंध में उसी स्थिति में है जिसमें

डिवीजन कोर्ट जिसमें तीन सदस्य होते हैं। इस नियम के केवल अपवाद हैं: (1) न्यायालय को यह तय करने का अधिकार है और वह यह तय करने के लिए बाध्य है कि वह अपने स्वयं के दो परस्पर विरोधी निर्णयों में से किसका पालन करेगा; (2) न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय का पालन करने से इनकार करने के लिए बाध्य है जो, हालांकि स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन अपनी राय में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। और (3) न्यायालय अपने स्वयं के किसी निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार दिया गया था, उदाहरण के लिए जहां कोई क़ानून या नियम जो वैधानिक प्रभाव रखता है जो निर्णय को प्रभावित करता, पूर्ववर्ती न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। [यंग वी. देखें। ब्रिस्टल एयरप्लेन कं. लिमिटेड [एल. आर. 1944 के. बी. 718 सी. ए.] जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील करने पर विस्काउंट साइमन द्वारा एल. आर. 1946 ए. सी. 163 में पी. 169] . कानून के प्रश्न पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय निर्णायक होता है और बाद के मामले में सदन को बाध्य करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक गलत निर्णय को केवल एक अधिनियम द्वारा सही किया जा सकता है

संसद। [स्ट्रीट ट्रामवेस वी. देखें। लंदन काउंटी

परिषद [1898 एसी 375] इस सीमा को लॉर्ड द्वारा दोहराया गया था।

रैडक्लिफ बनाम में राइट। रिबल मोटर सर्विसेज लिमिटेड [1939 एसी 215 पी। 245] "

110. यू. पी. राज्य और अन्य के मामले में v. सिंथेटिक्स एंड निकल्स लिमिटेड और एक अन्य, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 40. ' 'इनक्यूरिया' का शाब्दिक अर्थ है 'लापरवाही'। व्यवहार में प्रति

इनक्यूरियम का अर्थ प्रति अज्ञान प्रतीत होता है। अंग्रेज़ी अदालतों ने

इस सिद्धांत को टकटकी निर्णय के नियम की छूट में विकसित किया।

'कानून में उद्धृत' से बचा जाता है और अगर इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 141 की व्याख्या करते हुए जो कानून के मामले के रूप में पूर्वजों के सिद्धांत का प्रतीक है।

जैसरी साहू बनाम। राजदेवन दुबे [(1962) 2 एस. सी. आर. 558 आकाशवाणी

1962 एस. सी. 83] यह न्यायालय प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए

1) 4 एस. सी. सी. 139 वे सरकार के सचिव हैं। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

इसका पालन तब किया जाता है जब एक पीठ के समक्ष परस्पर विरोधी निर्णय रखे जाते हैं जो इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों से एक मार्ग निकालती है जिसमें एक अपवाद को शामिल किया जाता है जब एक अपीलीय अदालत का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। 41. क्या यह सिद्धांत कानून के किसी निष्कर्ष पर लागू होता है, जिसे न तो उठाया गया था और न ही किसी विचार से पहले। दूसरे शब्दों में, क्या ऐसे निष्कर्षों को कानून की घोषणा माना जा सकता है? यहाँ फिर से अंग्रेजी अदालतों और न्यायविदों ने पूर्ववर्ती नियमों के लिए एक अपवाद तैयार किया है। इसे उप-मौन के नियम के रूप में समझाया गया है। एक निर्णय उप-मौन रूप से पारित होता है, तकनीकी अर्थों में जो उस वाक्यांश से जुड़ा हुआ है, जब निर्णय में शामिल कानून के विशेष बिंदु को अदालत द्वारा महसूस नहीं किया जाता है या उसके दिमाग में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। (न्यायशास्त्र पर सैल्मंड 12 वीं संस्करण, पी। 153)। लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन)

लिमिटेड वी. ब्रेमिथ लिमिटेड [(1941) 1 के. बी. 675,677: (1941) 2 सभी ई. आर. 11] न्यायालय पहले के निर्णय से बाध्य महसूस नहीं करता था क्योंकि इसे 'बिना किसी तर्क के, नियम के महत्वपूर्ण शब्दों के संदर्भ के बिना और प्राधिकरण के किसी भी उद्धरण के बिना' प्रस्तुत किया गया था। इसे मंजूरी मिल गई है। दिल्ली नगर निगम बनाम में इस न्यायालय द्वारा। वर्णम कौर। [(1989) 1 एस. सी. सी. 101] पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि 'पूर्ववर्ती उप-मौन और बिना तर्क के कोई क्षण नहीं हैं'। इस प्रकार अदालतों ने अन्यायपूर्ण उदाहरणों द्वारा किए गए अन्याय से राहत पाने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया है। एक निर्णय जो व्यक्त नहीं है और कारणों पर आधारित नहीं है और न ही यह मुद्दे पर विचार करने पर आगे बढ़ता है, उसे बाध्यकारी प्रभाव घोषित करने वाला कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा विचार किया गया है। एकरूपता और

एकरूपता न्यायिक अनुशासनक मूल अछि। लेकिन जो बिना किसी अवसर के निर्णय में बच जाता है वह अनुपात निर्णय नहीं है। बी में।

शमा राव बनाम। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी [ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1480: (1967) 2 एससीआर 650: 20 एस. टी. सी. 215] यह कहा गया था, 'यह कहना तुच्छ है कि कोई निर्णय उसके निष्कर्षों के कारण बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांतों के संबंध में। बिना सोचे समझे या बिना किसी कारण के पहले की गई किसी भी घोषणा या निष्कर्ष को कानून की घोषणा या सामान्य प्रकृति का अधिकार नहीं माना जा सकता है जो एक उदाहरण के रूप में बाध्यकारी है। असहमति या अतिनिर्णय में प्रतिबंध स्थिरता और एकरूपता के लिए है, लेकिन उचित सीमाओं से परे कठोरता कानून के विकास के लिए हानिकारक है। ”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

111. यह न्यायालय संदीप कुमार बाफना बनाम के मामले में आगे है।

महाराष्ट्र राज्य और अन्य 47 ने इस प्रकार देखाः

" 19. इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि अनुशासन की मांग एक पूर्ववर्ती या किसी निर्णय की अयोग्यता या कमी द्वारा की जाती है।

प्रति इनक्यूरियम नियम के लागू होने पर बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बिना, कानून की निश्चितता, फैसलों की स्थिरता और अदालतों की सामूहिकता एक महंगी दुर्घटना बन जाएगी। एक निर्णय या निर्णय किसी कानून, नियम या विनियमन में कोई भी प्रावधान हो सकता है, जिसे अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था। एक निर्णय या निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार भी हो सकता है यदि इसके अनुपात को किसी सह-समान या बड़ी पीठ के पहले घोषित निर्णय के साथ जोड़ना संभव नहीं है; या यदि उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के विचारों के अनुरूप नहीं है। यह तुरंत स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रति इनक्यूरियम नियम सख्ती से और सही है।

अनुपात निर्णय पर लागू होता है और आज्ञाकारिता पर नहीं। यह है।

अक्सर उच्च न्यायालयों में सामना किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के दो या दो से अधिक पारस्परिक रूप से अपरिवर्तनीय निर्णय बार में उद्धृत किए जाते हैं। हम सोचते हैं कि अलंघनीय उपाय प्रारंभिक दृष्टिकोण को लागू करना है क्योंकि बाद वाले प्रति की श्रेणी में आते हैं। इनक्यूरियम "।

112. जी. सी. के मामले में निर्णय का अवलोकन। कानूनगो (ऊपर) यह खुलासा करेगा कि हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें दर्ज की हैं, लेकिन विधानमंडल के पास कानून बनाकर पहले के न्यायिक फैसलों को अप्रभावी बनाने की कोई शक्ति नहीं है और हालांकि उक्त प्रस्ताव के समर्थन में फैसलों का हवाला दिया गया था, लेकिन अदालत ने उक्त फैसलों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं समझा। हालांकि, 1940 के अधिनियम के प्रावधानों या हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (ऊपर) और शंकरलाल अग्रवाल और अन्य (ऊपर) के मामलों में संविधान पीठ के दो फैसलों पर विचार किए बिना, यह माना गया कि अदालत द्वारा "अदालत का शासन" देते समय प्रयोग की जाने वाली शक्तियां न्यायिक शक्तियां नहीं हैं। हम पाते हैं कि जी. सी. के मामले में उस प्रभाव का निष्कर्ष। कानूनगो (ऊपर), 1940 के अधिनियम और उनके द्वारा निर्धारित कानून के प्रावधानों के अलावा

हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (ऊपर) और शंकरलाल अग्रवाल और अन्य (ऊपर) के मामलों में संविधान पीठ को भी उप-मौन के नियम का सामना करना पड़ेगा।

47 (2014) 16 एस. सी. सी. 623-सरकार का सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

113. इस न्यायालय के बाद के निर्णयों का अवलोकन

इस स्थिति को भी मजबूत करें कि 1940 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां न्यायिक शक्तियां हैं और यह कि एक पुरस्कार "अदालत का शासन" बनाने की शक्ति एक यांत्रिक शक्ति नहीं है।

114. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के मामले में v. जे. सी

बुधराजा, सरकार और खनन ठेकेदार, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 17. ..... क्या मध्यस्थ ने शर्तों से परे काम किया है

अनुबंध या उसने अपने अधिकार क्षेत्र से परे यात्रा की है, यह निर्भर करेगा तथ्यों पर, जो हालांकि क्षेत्राधिकार तथ्य होंगे, और

अदालत में जाने की आवश्यकता है..

[जोर दिया गया]

115. न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार पर विचार करते समय

1940 के अधिनियम की धारा 16 के तहत, यह न्यायालय, रामचंद्र रेड्डी एंड कंपनी के मामले में। ए. पी. और अन्य की स्थिति इस प्रकार देखी गईः

" 5. मध्यस्थता अधिनियम के तहत, धारा 16 के तहत प्रावधान है जिसे न्यायालय पुनर्विचार के लिए पुरस्कार भेज सकता है

मध्यस्थ और पुरस्कार भेजने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब

या ठीक किया गया। पुरस्कार की माफी के विवेकाधिकार में है न्यायालय और न्यायालय की शक्तियाँ इसके द्वारा सीमित हैं -

अदालत मामले को प्रेषित करने में उचित हो सकती है यदि मध्यस्थ किसी भी मामले को अनिर्धारित या इसका एक हिस्सा छोड़ देता है

उस भाग को शेष भाग से अलग नहीं किया जा सकता है, इसके बिना मामले पर निर्णय को प्रभावित करना, जिसे संदर्भित किया गया था

मध्यस्थता या पुरस्कार इतना अनिश्चित है कि अक्षम है

निष्पादन या यह कि पुरस्कार गलत है। अदालत को प्रेषित करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान किया गया है

उक्त विवेकाधिकार का न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और एक अपीलीय अदालत के साथ हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा

विवेकाधिकार का प्रयोग जब तक कि विवेकाधिकार नहीं किया गया है

दुरुपयोग किया गया। पुरस्कार मिलने पर क्या स्पष्ट त्रुटि होती है?

जिसे ठीक करने की आवश्यकता है, हमेशा एक विषय रहा है

48 (1999) 8 एससीसी 122 49 (2001) 4 एससीसी 241 [2022] 3 एस. सी. आर.

चर्चा की। पुरस्कार के सामने कानून की एक त्रुटि होगी

इसका मतलब है कि वास्तव में पुरस्कार या दस्तावेज़ में पाया जा सकता है इसमें कुछ कानूनी निर्णय के कारणों को शामिल किया गया है।

प्रस्ताव जो पुरस्कार का आधार हैं और जो हो सकते हैं

गलत कहा गया। दस्तावेज़ जो सीधे शामिल नहीं किए गए हैं या

अप्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार में इस उद्देश्य के लिए नहीं देखा जा सकता है कि

किसी भी कथित त्रुटि का पता लगाना। अदालतों को जांच नहीं करनी है

वास्तव में मध्यस्थों और दस्तावेजों के निर्णय से परे उसमें निगमित और इसलिए, जब कोई पेटेंट नहीं होगा

पुरस्कार के चेहरे पर त्रुटि, यह अदालत के लिए खुला नहीं होगा

पुरस्कार की कार्यवाही में जाने के लिए। अगर आवेदन

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले दावेदारों द्वारा दायर प्रेषण

धारा 16 के तहत उपरोक्त दृष्टिकोण से जांच की जाती है और यदि

विद्वत सिविल न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया जाता है, जिसमें दावा वस्तु 1 का प्रेषण किया जाता है

ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, निष्कर्ष है

अप्रतिरोध्य है कि प्रेषण के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था और विद्वत विचारण न्यायाधीश ने इस आधार पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया कि

धारा के प्रावधानों के चार कोनों के भीतर नहीं आते हैं

16 मध्यस्थता अधिनियम। वास्तव में कोई कारण नहीं बताया गया था

पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए, दावा मद 1 को अस्वीकार करने के लिए और

उसी का प्रेषण। उच्च न्यायालय अपील का न्यायालय होने के नाते, इसलिए, अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करने में पूरी तरह से उचित था

दावा प्रेषित करने में सिविल न्यायाधीश द्वारा की गई त्रुटि को सुधारना

मद 1 "।

[जोर दिया गया]

116. एस. बी. पी. के मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ

2. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य, विचार कर रहे थे

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियाँ या

1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) और 8 के तहत भारत के न्यायाधीश हैं -

न्यायवादी या न्यायिक।

117. पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, पी. के. बालासुब्रमण्यन,

बहुमत से निर्णय लेते हुए, इस प्रकार कहा गयाः

" 36. उपरोक्त परीक्षण से यह देखा गया है कि कम से कम मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का निर्णय लेने और निर्णय लेने के मामले में

एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, मुख्य न्यायाधीश जब

प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा प्रस्तुत दो दृष्टिकोणों का सामना करते हुए,

5) 8 एस. सी. सी. 618 उन्होंने सरकार को सचिव बनाया। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

उनके और महत्वपूर्ण निर्णय के बीच निर्णय लेने के लिए कहा जाता है

अधिनियम। विरोधी पक्ष को दिए गए नोटिस को केवल उस पक्ष को मध्यस्थता आवेदन दाखिल करने और मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने वाले प्रशासनिक आदेश के पारित होने की सूचना नहीं माना जा सकता है। यह वास्तव में सुनने का अवसर देना है। ऐसे मामले हैं जहाँ दावे किए गए हैं मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता समझौते के आधार पर अनुबंध की अवधि समाप्त होने के दस या बीस साल बाद किया जाता है। ऐसे मामले सामने आए हैं जब पक्षों द्वारा खातों का निपटान करने के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई है और संबंधित पक्ष ने प्रमाणित किया है कि उसके पास कोई मध्यस्थता नहीं थी।

नोटिस जारी करना। इस बात पर भी विवाद उठाए जाते हैं कि क्या जिस दावे को सामने रखने की मांग की गई है, वह संबंधित मध्यस्थता खंड के दायरे में आता है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश को किसी न किसी तरह से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ने या मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करने से पहले इन पहलुओं पर अपना दिमाग लगाना आवश्यक है। जाहिर है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। दोनों पक्षों को सुनने का अवसर मिलना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्यों में भी यदि अधिकार प्रभावित होते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के नियम लागू होते हैं। सिद्धांत तय किए गए रिज वी द्वारा। बाल्डविन [(1963) 2 ऑल ईआर 66: 1964 एसी 40: (1963) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 935 (एच. एल.)] प्रसिद्ध हैं। इसलिए, [2022] 3 एस. सी. आर.

हद तक, कोंकण रेल। [(2002) 2 एस. सी. सी. 388] में कहा गया है कि विरोधी पक्ष को मध्यस्थ नियुक्त करने से पहले सुनवाई का अवसर देने के लिए कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसे टिकाऊ नहीं माना जाना चाहिए "।

118. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई शक्तियाँ या

1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक नहीं हैं, बल्कि न्यायिक शक्तियां हैं। इस प्रकार यह तर्कपूर्ण नहीं लगेगा कि जब मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक शक्ति को न्यायिक शक्ति माना गया है, तो

"न्यायालय का नियम" का अधिनिर्णय, जो 1940 के अधिनियम की धारा 17 में निर्धारित संभावनाओं के अस्तित्व पर केवल न्यायालय की संतुष्टि पर किया जा सकता है, न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं है। 119. तमिलनाडु राज्य के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ बनाम। केरल राज्य और अन्य 3 1 ने पहले के सभी निर्णयों के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, भारत के संविधान के तहत "शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत" पर कानून का सारांश दिया है, जो इस प्रकार हैः

" भारतीय संविधान के तहत शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का सारांश

संविधान

126. उपरोक्त चर्चा के गहन प्रतिबिंब पर, हमारी राय में, भारतीय संविधान के संदर्भ में विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित संवैधानिक सिद्धांत।

और न्यायपालिका को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

126.1 . शक्तियों के पृथक्करण के स्पष्ट प्रावधान के बिना भी, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारत के संविधान में एक मजबूत सिद्धांत है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

भारतीय संवैधानिक संरचना को सूचित करता है और यह एक आवश्यक है

कानून के शासन का घटक। दूसरे शब्दों में, सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, लेकिन इसका विस्तार, संचालन और दृश्यता इस योजना से स्पष्ट है -

भारतीय संविधान। संविधान ने तीन अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच औपचारिक रेखा खींचे बिना सीमांकन किया है। इस मायने में, शक्तियों के पृथक्करण के लिए स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है।

51 (2014) 12 एस. सी. सी. 696 उन्होंने सरकार को सचिव बनाया।

यह उन देशों के संविधानों से अलग है जिनमें शक्तियों के पृथक्करण के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं।

126.2 . कार्यपालिका और विधायिका से अदालतों की स्वतंत्रता कानून के शासन के लिए मौलिक है और भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। न्यायिक शक्ति का पृथक्करण भारत के संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है।

126.3 . तीन अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण भी कुछ और नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांतों का परिणाम है।

भारत का संविधान। तदनुसार, न्यायिक शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन अनुच्छेद के तहत समानता का निषेध हो सकता है।

14. इस प्रकार कहा गया है कि शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन के आधार पर एक कानून को अमान्य किया जा सकता है क्योंकि इस तरह का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का निषेध है।

126.4 . उच्च न्यायपालिका (उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय) को संविधान द्वारा विधायिका (संसद और राज्य विधानमंडलों) द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य घोषित करने का अधिकार है यदि यह संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता पाया जाता है या यदि यह संविधान के भाग III में निहित अधिकारों का उल्लंघन करता है।

126.5 . शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अंतिम पर लागू होता है

न्यायालयों के निर्णय। विधायिका किसी न्यायालय के किसी भी निर्णय को अमान्य या अप्रभावी घोषित नहीं कर सकती है। हालाँकि, यह एक द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम पारित कर सकता है

कानून की अदालत या इसके बारे में पता चलने पर। दूसरे शब्दों में, अदालत का निर्णय हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, उन्हें इतना मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं किया जाता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सकता था। 126.6 . यदि विधायिका के पास विषय-वस्तु पर अधिकार है और एक मान्य कानून बनाने की क्षमता है, तो वह किसी भी समय इस तरह का एक मान्य कानून बना सकती है और इसे पूर्वव्यापी बना सकती है। अतः, एक मान्यकारी कानून की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या विधायिका के पास वह क्षमता है जिसका वह विषय-वस्तु पर दावा करती है और क्या सत्यापन कानून बनाने में यह उस दोष को दूर करता है जिसे अदालतों ने मौजूदा कानून में पाया था।

126.7 . विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून स्पष्ट रूप से प्रतीत हो सकता है

यदि इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में दिखाया जाता है, तो ऐसा कानून [2022] 3 एस. सी. आर. हो सकता है।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन में अमान्य होना। ऐसी स्थिति में, विधायी प्रिस्क्रिप्शन या निर्देश को ध्यान में रखते हुए, किसी निर्णय या न्यायिक कार्यवाही पर कानून के कानूनी प्रभाव की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। पूछे जाने वाले सवाल

ये हैं:

(i) क्या विधायी निर्देश या विधायी निर्देश है?

न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करना? ((ii) क्या कानून तय किए गए मामले को लक्षित करता है या क्या विवादित कानून को पहले से ही अंतिम रूप से तय किए गए मामले में लागू करने की आवश्यकता है?

((ग) कानून की शर्तें क्या हैं; जिन मुद्दों से यह संबंधित है और निर्णय की प्रकृति जो अंतिमता प्राप्त कर चुकी है?

यदि प्रश्न (i) और (ii) का उत्तर सकारात्मक है और प्रश्न (iii) में उल्लिखित पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।

यह स्थापित करता है कि विवादित कानून न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है, न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

120. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामले में संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून स्पष्ट रूप से उसकी क्षमता के भीतर प्रतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी सार में यदि इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में दिखाया जाता है, तो ऐसी कानून को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए अमान्य किया जा सकता है। द. संविधान पीठ ने ऐसी स्थिति में पूछे जाने वाले तीन प्रश्नों को निर्धारित किया, जिन्हें यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

121. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि चूंकि राज्य अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 के लिए संदर्भित है,

यह राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर है। जिस सवाल पर विचार करना होगा वह यह है कि क्या यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। इसके लिए हमें तीन प्रश्नों पर विचार करना होगा। तमिलनाडु राज्य बनाम के मामले में संविधान पीठ द्वारा तैयार किया गया। केरल राज्य और एक अन्य (ऊपर)। राज्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य अधिनियम तब से लागू किया गया है जब राज्य सरकार इसके खिलाफ पारित विभिन्न पुरस्कारों से व्यथित थी। इसलिए सार्वजनिक हित में समझौते में मध्यस्थता खंड को रद्द करना, उसके तहत नियुक्त मध्यस्थों के अधिकार को रद्द करना और पुरस्कारों या फरमानों के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाना समीचीन पाया गया। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अधिकांश पुरस्कार 1993 से पहले "न्यायालय के नियम" बनाए गए थे।

सरकार के कई सचिवों में। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

राज्य सरकार द्वारा मामलों, अपीलों को भी प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार,

हम पाते हैं कि राज्य अधिनियम में विधायी निर्देश और विधायी निर्देश निस्संदेह न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि यह कानून पारित किए गए पुरस्कारों को लक्षित करता है जो "न्यायालय का नियम" बन गए हैं। जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, 1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत अदालतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ राज्य की न्यायिक शक्तियाँ हैं। इस प्रकार, हमारा विचार है कि प्रश्न संख्या। 1 और 2 जैसा कि तमिलनाडु राज्य के मामले में संविधान पीठ द्वारा तैयार किया गया है। केरल राज्य और एक अन्य (ऊपर) का जवाब हां में दिया जाना आवश्यक है। राज्य अधिनियम की शर्तों पर विचार करने पर, जिन मुद्दों से यह निपटता है, यह स्पष्ट है कि राज्य अधिनियम न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है।

122. इसलिए हमारा विचार है कि राज्य अधिनियम, जो पुरस्कारों को रद्द करने का प्रभाव रखता है, "नियम" बन गए हैं।

न्यायालय का ", राज्य के न्यायिक कार्यों का उल्लंघन है और इसलिए," शक्तियों के पृथक्करण "के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार, राज्य अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

123. हम लाभप्रद रूप से इस न्यायालय की टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

पी. तुलसी दास और अन्य बनाम के मामले में। सरकार. ए. पी. और अन्य 5 2. उक्त मामले में, यह न्यायालय, एक कानून बनाने के लिए राज्य की विधायी शक्ति पर विचार करते हुए, जो अधिकारों को छीनने के बराबर है,

जो बहुत पहले से ही पक्षों को अर्जित किए जा चुके हैं, उन्होंने इस प्रकार देखा है:

" 14. इन अपीलों में तथ्य की स्थिति के आलोक में उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर
हमारा विचार है कि वे अपीलार्थियों के पक्ष में सभी चार मामलों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त और दावा किए गए अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए किसी भी वैधानिक अधिनियम या नियमों के तहत होने चाहिए और अन्य मामलों में वैध रूप से अधिकारों का कोई अधिग्रहण नहीं हो सकता है, ताकि राज्य को चुनौती के तहत प्रकृति के कानून को लागू करने से वंचित किया जा सके ताकि गंभीर विसंगतियों को ठीक किया जा सके जो उत्पन्न हो गई थीं और पूर्ववत होने के योग्य थीं, हमारी स्वीकृति के योग्य नहीं है। इसके द्वारा

अब अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी विशेष क्षेत्र, पहलू या विषय के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमों के अभाव में,

राज्य को अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रावधान करने की अनुमति है जो इसके साथ-साथ व्यापक है।

52 (2003) 1 एससीसी 364 [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवा की शर्तों और अर्जित अधिकारों को निर्धारित करने वाली विधायी शक्तियाँ

किसी नागरिक को दिए गए या उसके द्वारा अर्जित किए गए अधिकारों को कानून के तहत अर्जित किया जाएगा और उस हद तक संरक्षित किया जाएगा। द्वारा पारित आदेश

सरकार, समय-समय पर फरवरी 1967 से 1985 तक और किसी भी तरह से अधिनियम के पारित होने तक, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सार्वजनिक हित की जरूरतों को पूरा करने के लिए वास्तव में और प्रभावी रूप से पर्याप्त कानूनी आधार प्रदान करती है।

उस अवधि के दौरान अधिकारों का अधिग्रहण जब वे पूर्ण बल और प्रभाव में थे। उच्च न्यायालय के साथ-साथ न्यायाधिकरण के आदेशों ने भी ऐसे अधिकारों और प्राप्त आदेशों को मान्यता दी और बरकरार रखा।

सरकार द्वारा आगे चुनौती दिए बिना अंतिमता, कानून द्वारा ज्ञात तरीके से। संबंधित शिक्षकों द्वारा अर्जित ऐसे अधिकारों, लाभों और अनुलाभों को कानून के अनुसार प्राप्त किए गए अधिकार नहीं कहा जा सकता है या सरकार की मीठी इच्छा और खुशी को दरकिनार कर दिया जा सकता है और दंड से मुक्त किया जा सकता है। नतीजतन, हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि विधायिका अपीलार्थियों द्वारा अर्जित उन अधिकारों को वैध रूप से अस्वीकार कर सकती थी, जो न केवल उन्हें ऐसे अधिकारों से वंचित कर सकते थे, बल्कि उन्हें राज्य को भुगतान की गई राशि को चुकाने और पुनर्स्थापित करने का प्रावधान भी कर सकते थे। अधिनियम के प्रावधान, हालांकि "भविष्य में" इसके संचालन में वैध हो सकते हैं, लेकिन इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह उनके द्वारा पहले से उपलब्ध, अर्जित और अर्जित लाभों को छीनते हुए पिछली अवधि के लिए पूर्व स्थिति को बहाल करने का इरादा रखता है। ऊपर बताए गए सभी कारणों से न्यायाधिकरण की बहुमत राय द्वारा दिए गए कारणों को हमारे हाथों में अनुमोदित नहीं किया जा सका। जहां तक धारा 2 और 3 (ए) के प्रावधानों का तात्पर्य 10-2-1967 से अधिकारों को छीनना और उन लोगों को बाध्य करना है जिनके पास उन्हें चुकाने या राज्य को वापस करने के लिए था, उन्हें मनमाना, अनुचित और बाध्यकारी बताते हुए निरस्त कर दिया जाता है।

अनुचित और इस तरह से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और

16 भारत का संविधान। हमारे विचार में, अपीलार्थियों द्वारा पहले से प्राप्त अधिकारों और समान रूप से स्थित व्यक्तियों की श्रेणी का उल्लंघन किए बिना, चाहे वे अदालतों में गए हों या व्यक्तिगत रूप से राहत नहीं मांग रहे हों, इसके तहत शक्तियों के संभावित प्रयोग के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। धारा 2 में निहित प्रावधानों को पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसे केवल संभावित बनाया जा सके, ताकि इसे धारा 2 से बचाया जा सके।

इसके पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाली असंवैधानिकता।

[जोर दिया गया] सरकार के लिए सचिव। केरल का आई. आर. आई. जी. ए. टी. विभाग v. जेम्स वर्गीज [बी. आर. गवई, जे.]

124. यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि आंध्र प्रदेश शिक्षा सेवा की धारा 2 और 3 (ए) के प्रावधान अप्रशिक्षित हैं।

और उनसे उन्हें वापस करने या राज्य को वापस करने की मांग करना मनमाना, अनुचित और अनुचित है। इसलिए यह माना गया है कि कहा कि प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं।

125. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, राज्य अधिनियम द्वारा जो किया गया है, वह पुरस्कारों और निर्णयों और फरमानों को रद्द करना है न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसके माध्यम से पुरस्कारों को "न्यायालय का नियम" बना दिया गया। इस प्रकार, राज्य अधिनियम के अधिनियमन से बहुत पहले पक्षों को जो अधिकार प्राप्त हुए थे, उन्हें उसके द्वारा छीनने की मांग की गई है।

126. हालाँकि, विभिन्न अन्य मुद्दों पर हमारे सामने विस्तृत तर्क दिए गए हैं, क्योंकि हमने माना है कि राज्य अधिनियम को राज्य की न्यायिक शक्तियों पर अतिक्रमण के आधार पर असंवैधानिक माना जा सकता है, हमें अन्य मुद्दों के संबंध में पक्षों की ओर से की गई दलीलों से निपटना आवश्यक नहीं लगता है।

• निष्कर्ष:

127. परिणाम में, हम निम्नानुसार मानते हैं:

(i) कि राज्य अधिनियम सार और सार में इस प्रकार है -

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 13 और न ही सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 12,13,14 और 37 और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 की। इसलिए, राज्य अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है। किसी भी मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी को देखते हुए, राज्य अधिनियम प्रबल होगा।
केरल राज्य के भीतर। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष

इसके विपरीत, केरल कानून की दृष्टि से गलत है। कि जी. सी. के मामले में निष्कर्ष। कानूनगो (ऊपर) से

((ख)

प्रभाव कि पारित करने में अदालतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ

मध्यस्थता पुरस्कारों को "न्यायालय का शासन" बनाने के लिए निर्णय और फरमान न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं है।

1940 के अधिनियम के प्रावधानों और हरिनगर चीनी [2022] 3 एस. सी. आर. के मामलों में संविधान पीठ के निर्णयों को शामिल करना।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मिल्स लिमिटेड (ऊपर) और शंकरलाल अग्रवाल और अन्य (ऊपर); और कि केरल का उच्च न्यायालय राज्य अधिनियम को अभिनिर्धारित करने में कानूनी रूप से सही है, राज्य की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करता है।

राज्य और इसलिए बेइन के रूप में नीचे गिराया जा करने के लिए उत्तरदायी है

असंवैधानिक है।

वर्तमान अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। पेंडिन

), यदि कोई हो, तो उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाएगा। एन.

लागतें।निर्णय देने से पहले, हम शिक्षार्थी द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अभिलेख में उल्लेख करते हैं।

पक्षों की ओर से सुनना।

एन बोस

याचिकाओं का निपटारा किया गया